Ok"ki % 42(vad % 01 (tuojh % 2020(eY; % nl #Ik,

सीटू मजदूर

वर्ष 2020 की शुभकामनाऐं

पश्चिम बंगाल में मजदूरों का लॉन्ग मार्च

कोलकाता में समापन रैली

चितरंजन से कोलकाता – लॉन्ग मार्च का एक हिस्सा

सीटू केन्द्र की पत्रिकाओं के लिए खबरें, रिपोर्टें, फोटो आदि कृपया इस मेल पर भेजें– *citujournals@gmail.com*

कर्नाटक में आँगनवाड़ी कर्मचारियों का मार्च

टुमकुरु से बेंगलुरु

सीटू के नेतृत्व में दसियों हजार आंगनवाड़ी कर्मी मौजूदा सरकारी स्कूलों में एल के जी व यूकेजी कक्षायें शुरु करने के राज्य सरकार द्वारा जारी सर्कुलर को वापस लिए जाने का माँग करते हुए 10 दिसम्बर को टुमकुरु से बैंगलोर तक 70 किलोमीटर लम्बे राज्य स्तरीय मार्च के लिए टुमकुर में जमा हुए। उनकी माँग थी कि इन कक्षाओं को मौजूद आंगनवाड़ी केन्द्रों में ही लगाया जाये तथा इन केन्द्रों व आइ सी डी एस स्कीम को मजबूत किया जाये। इस राज्य स्तरीय पदमात्रा से पहले 6 क्षेत्रीय जत्थों का आयोजन किया गया था। आंगनवाडी कर्मियों के जमावड़े व मार्च को रोकने के लिए भाजपा की येदियुरप्पा सरकार ने टुमकुर में भारी सशस्त्र बल तैनात किया था। पुलिस ने मार्च की पूर्व रात्रि में आंगनवाड़ी कर्मियों की नेता नागरत्ना व अन्य को नजरबंद कर दिया; टुमकुर की ओर आने वाले मोटर वाहनों को रोक दिया तथा वाहन मालिकों पर वाहन न चलाने के लिए दबाव डाला।

इस सब के बावजूद शाम होने तक 50,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कर्मी टुमकुरु पहुँच गई; उन्होंने वापस जाने से इनकार करते हुए दिन–रात ग्लास हाऊस मैदान व अन्य मैदानों में रुकने का फैसला कर वहीं रात्रि भोजन तैयार किया।

टुमकुरु में हुई आंगनवाड़ी कर्मियों की आम सभा को सीटू व आंगनवाड़ी फेडरेशन आईफा की राष्ट्रीय व राज्य नेताओं ने संबोधित किया जिनमें ए आर सिंधु एस वरालक्ष्मी मीनाक्षी सुंदरम के एन उमेश सईद मुजीब तथा जाने–माने नाटककार व सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम सेवा संघ के प्रसन्ना शामिल थे। आंदोलनकारियों के अड़जाने पर उनके प्रतिनिधि मंडल को मुख्य मंत्री से बातचीत के लिए बैंगलोर ले जाया गया। लेकिन यह बातचीत असफल रही क्योंकि मुरव्य मंत्री ने कोई ठोस आश्वासन नही दिया। इसलिए आंदोलन जारी रहा तथा नेताओं ने अगले दिन पदयात्रा या धरने का फैसला लिया।बाद में मुरव्य मंत्री को 24 घंटे के भीतर ही यूनियन के नेताओं से मिलने को बाध्य होना पड़ा।हड़ताल के मुद्दों का समाधान करने के लिए एक विशेष बैठक का लिरिवत आश्वासन दिया गया जिसके आधार पर हड़ताल को 16 दिसम्बर तक आगे टाल दिया गया महिला व बाल विकास मंत्री शशिकला अन्ना साहेब जोली ने सार्वजनिक रुप से आंगनवाडी यूनियन की माँगों का समर्थन किया।

सम्पादकीय

8 जनवरी की हड़ताल की ओर

विभाजनकारी और ध्यान भटकाने वाले अजेंडे को परास्त करो

सीटू मजदूर

सीआईटीयू का मुखपत्र

जनवरी 2020

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

~~के. हेमलता~~

कार्यकारी सम्पादक

~~जे. एस. मजुमदार~~

सदस्य

~~तपन सेन~~,

एम. एल. मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस. राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

Je lfgrk o lhV dk gLr{ki 5

& vkj- dk#eyk;u

ugh pkfg;s lh,,(ugh pkfg;s ,uvkjlh 6

&i"iUn R;kxh m|kx o {k= futhdj.k d fojk/k e fjQkbujht o ekdfVx e n'k0;kih gMrky 8

& Lon'k no jk; jkT;k l 14

vrjk"Vh; 19

miHkDrk lpdkd 26

30 flrEcj 2019 dk g, etnjk d jk"Vh; dUo'ku u 8 tuojh 2020 dk etnjk dh n'k0;kih vke gMrky dk vkºoku fd;k FkkA etnjk d lHkh fgLlk dh ekxk d vykok bl dUo'ku u vU; rcdk d Toyr eík dk Hkh viuh gMrky dh ekxk e 'kkfey fd;k Fkk(egxkb ij jkd yxku vkj c<rh cjktxkjh dk Fkkeu lfgr bue l dN fo"k; gMrky dh 12 l=h ekxk e 'kkfey gA ?kk"k.kki= u Hkfe] Qly d ykHkdkjh nke] fdlkuk dh dt&efä dh ekx Hkh mBkb g vkj lÙkk e cB gDejkuk dh lkEçnkf;d rFkk foHkktudkjh uhfr;k d fojk/k dk Hkh mBk;k gA

bl nkjku n'kHkj e efgykvk d mRihMu] f'k{kk d futhdj.k 0;kikjhdj.k vkj lkEçnkf;dhdj.k okyh ub f'k{kk uhfr] ljdkjh f'k{k.k lLFkkuk e Qhl of/n d f[kykQ tukØk"k d Lor LQr vkj lxfBr vkØk"k d foLQkV g, gA lh,,] ,uvkjlh vkj ,uihvkj d fo#) xLlk QVk gA ;g lHkh eík etnjk d dUo'ku d ?kk"k.kki= d fgLl g] gMrky d fcn gA

ekinh ljdkj dk foHkktudkjh vtMk turk d thou vkj mld vf/kdkjk d Toyr lokyk l /;ku cVku dh dkf'k'kk dk fgLlk gA ykxk dh ftnxh vkj mud vf/kdkjk dh fgQktr ij /;ku dfær djr g, mUg 8 tuojh dh gMrky dk eík cuku d tfj; ekinh ljdkj dh bu foHkktudkjh /;ku cVkÅ frdMek dk cudkc rFkk ijkftr fd;k tk ldrk gA etnj ox d vknkyu d fy, egurd'kk vkj turk dh ,drk lokPp gA bl rjg nkuk fygkt l t:jh gk tkrk g fd bl foHkktudkjh vkj /;ku cVku okyh frdMe dk ijkftr fd;k tk,A

fdlku lxBuk u Hkh fdlkuk dh ekxk dk ydj 8 tuojh 2020 dk ^^xkeh.k Hkkjr cn** dk ukjk n fn;k gA Nk= lxBuk u viuh ekxk dk ydj 8 tuojh 2020 dk f'k{k.k lLFkkvk d cn dk vkºoku fd;k gA

bl ckj lekt d vU; rcd vkj fgLl etnjk dh gMrky d lkFk flQ ,dtVrk gh ugh fn[kk,x cfYd ckdh oxh; lxBu & tulxBu viuh viuh ekxk dk ydj 8 tuojh 2020 dk viu&viu çHkko {k=k e gMrky ij Hkh tk,x vkj bl çdkj leph turk d 0;kid ykdrkf=d ep dh LFkkiuk dh vkj c<xA

8 tuojh 2020 dh vke gMrky dk ,frgkfld :i l dke;kc cuku dh vkj cf<;A

सीटू की 16वीं कॉन्फ्रेंस

व्यवस्थाओं की सूचना

- **मौसमः** सुखद; तापमानः 20 सेन्टीग्रेड न्यूनतम – 29 सेन्टीग्रेड अधिकतम के बीच;
- **सहायता डेस्कः** 22 से 23 जनवरी की सुबह तक रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर, हेल्प डेस्क कार्यशील रहेंगे;
- **स्थानीय परिवहनः** स्वागत समिति ने हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशनों से प्रतिनिधियों को उनके ठहरने के स्थानों पर लेकर जाने के लिए स्थानीय परिवहन की व्यवस्था की है।
- **लॉजिंगः** प्रतिनिधि आवास की व्यवस्था संबंधित होटलों में 23 सुबह से 27 जनवरी तक की गयी है। पहले आने वाले या बाद में जाने वाले प्रतिनिधि को उनके निजी खर्च पर उचित व्यवस्था के लिए रिसेप्शन कमेटी को अग्रिम रुप से सूचित करना है।
- **सम्मेलन स्थलः** वाईएमसीए ग्राउंड्स, 24, वेस्ट कॉट रोड, रोयापेट्टा, चेन्नई – 600014, (रोयापेट्टा गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के सामने), चेन्नई सेंट्रल स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर और एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर दूर है।
- **भोजनः** नाश्ता, चाय, दोपहर का भोजन और रात का खाना सम्मेलन स्थल पर प्रदान किया जाएगा।
- **सम्मेलन स्थल पर सहायता डेस्कः** सम्मेलन कार्यक्रम, पर्यटन (यदि किसी प्रतिनिधि की आवश्यकता है), परिवहन, आवास आदि के बारे में प्रतिनिधियों को जानकारी, सहायता, समन्वय और जानकारी प्रदान करने के लिए सम्मेलन स्थल में मदद डेस्क होंगे।
- **अग्रिम सूचनाओं की आवश्यकताः** (1) आगमन के बारे में तिथि, समय और आगमन के माध्यम के साथ जिलेवार; (2) पुरुष और महिला प्रतिनिधियों की संख्या और (3) शाकाहारियों और गैर–शाकाहारियों की संख्या।

स्वागत समिति के फोन नंबर

1. **सौन्दराजन, अध्यक्ष – 9841748076**
2. **जी. सुकुमारन, महासचिव – 9443569130**
3. **वी. कुमार, सहायक महासचिव – 9840819206**
4. **के. थिरुसेल्वन, सहायक महासचिव – 9444577036**
5. **के.सी. गोपीकुमार, सचिव – 9443091730**
6. **आर. विश्वनाथन, स्वागत समिति – 9444040413**

– स्वागत समिति

और अधिक निजीकरण

प्रतिरक्षा उत्पादन के निजीकरण की मुहिम के बाद;

अब सैनिक छावनियों की सम्पत्तियों की बारी

केंद्र सरकार ने देश भर में सैन्य छावनी क्षेत्रों में भूमि एवं भवनों सहित संपत्तियों के स्वामित्व अधिकार निजी क्षेत्र के लिए खोलने का फैसला किया है। इस उद्देश्य के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुमित बोस की अध्यक्षता में समिति, ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें सिफारिश की गई है कि सेना द्वारा विरोध के बावजूद सभी 62 सैन्य छावनियों में संपत्ति निजी क्षेत्र के लिए खोली जाए। इसके लिए, आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड्स में प्रमुख बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें कई लाख करोड़ रुपये की रक्षा भूमि का प्रबंधन करने वाले रक्षा संपदा महानिदेशक को शक्तियां दी गई हैं, जो आदर्श सोसायटी के दागी है।

(स्रोतः आईएएनएस; 22.10.2019)

श्रम संहिता और सीटू का हस्तक्षेप

आर. करुमलायन

भाजपा की मोदी सरकार ने संसद के पिछले मानसून सत्र में दो लेबर कोडस् पेश किये – 'कोड ऑन वेजेज बिल, 2019 (वेज कोड) और ''ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड' बिल, 2019 (ओएसएच कोड)। हालांकि वेज कोड संसद द्वारा पारित किया गया और, राष्ट्रपति की सहमति के बाद, इसे कानून के रूप में अधिसूचित किया गया था; ओएसएच कोड को श्रम की संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था। 1 नवंबर को, सरकार ने वेज कोड के तहत ड्राफ्ट नियमों पर सार्वजनिक अधिसूचना जारी की।

इस बीच, अन्य दो लेबर कोड – 'इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 'बिल, 2019 (आइ आर कोड) और 'सोशल सिक्योरिटी कोड' बिल 2019 (एसएस कोड) भी लोकसभा के हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र में पेश किए गए हैं। इस प्रकार, पहले के/मौजूदा सभी 44 श्रम कानूनों की जगह, सभी चार लेबर कोड ले रहे हैं, जो मोदी–1 सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, अब मोदी–2 सरकार के सत्ता में आने के बाद संसद में पेश होने के बाद विभिन्न चरणों में हैं।

जब से मोदी–1 सरकार ने लेबर कोड के मसौदे प्रस्तावित और पेश किए हैं, तब से इनके मसौदे को कई बार पुनः तैयार किया गया है, और मोदी–2 सरकार ने इन्हें संसदीय प्रक्रिया से पारित करवाया है; सीटू ने अपने दृष्टिकोण से मजदूरों के अधिकारों और आजीविका पर उनके गंभीर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में सामग्री और प्रचार की पहल की है; सरकार और संसदीय समितियों के समक्ष अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ स्वतंत्र रूप से और संयुक्त रूप से अपने विचारों, आपत्तियों और संशोधनों को दर्ज कराया और इसको व्यापक रूप देते हुए संघर्षों का संचालन किया है।

मजदूरी कोड

जब संसद में वेज कोड बिल पेश किया गया, तो तथाकथित 'विशेषज्ञ समिति' की रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम वेतन के निर्धारण में ..... वें आई.एल.सी. की सिफारिषों और राप्टकोस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 1991 के आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए संशोधन पेश करने में सीटू केंद्र ने वामपंथी सांसदों की मदद की। इसे बाहरी अभियान द्वारा समर्थित किया गया था। सीटू के राष्ट्रीय सचिव ईलमाराम करीम, सांसद ने राज्यसभा में संशोधन पेश किया। हालांकि इस संशोधन को सदन में केवल 8 वोट मिले; मसविदा नियमों को बाद में सभी मानदंडों को शामिल करना था।

वेतन संहिता के तहत मसविदा नियमों पर, सीटू ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में संशोधन प्रस्तुत किए। इसके बाद, बीएमएस सहित सभी 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आईएलओ द्वारा एक आयोजित बैठक में चर्चा की और मसविदा नियमों में 35 संशोधनों पर संयुक्त ज्ञापन को अंतिम रूप दिया और मंत्रालय को भी प्रस्तुत किया। सुझाए गए प्रमुख संशोधनों में से कुछ हैं (1) न्यूनतम वेतन गणना के 6 मानदंड अधिनियम में ही होने चाहिए (नियमों में नहीं); (2) 8 घंटे एक दिन (प्रस्तावित 9 घंटे के बजाय) और सप्ताह में 48 घंटे; (3) वेतन की गणना पहले मासिक, जो दैनिक वेतन के लिए 26 से विभाजित की जाएगी और दैनिक वेतन को 8 से विभाजित करके प्रति घंटा वेतन *(पहले प्रस्तावित दैनिक मजदूरी, फिर 26 से गुणा करके मासिक वेतन, फिर प्रति घंटे की मजदूरी पर पहुंचने के लिए दैनिक मजदूरी को 9 से विभाजित के बजाय)*; (4) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिष के अनुसार (प्रस्तावित 10% के बजाय) भोजन एवं कपड़ों के लिए कुल न्यूनतम वेतन का 30% और ईंधन आदि के मद में 20% को अतिरिक्त रुप से जोड़ना (5) जीवन यापन सूचकांक की लागत की 100% भरपायी; (6) 3 के बजाय 6 सदस्यीय परिवार इकाई; (7) न्यूनतम वेतन ही फ्लोर लेवल वेज आदि हो।

ओएसएच कोड

ओएसएच कोड में, कारखानों, खदानों, गोदी मजदूरों भवन और अन्य निर्माण मजदूर; बागबानी मजदूरों; ठेका मजदूर; अंतर–राज्यीय प्रवासी मजदूर; कामकाजी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र के कर्मचारी; मोटर परिवहन कर्मचारी, बिक्री संवर्धन कर्मचारी; बीड़ी और

सिगार मजदूर; सिने मजदूरों और सिनेमा थियेटर मजदूरों की कामकाजी स्थितियों, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित 13 कानूनों को सम्मलित और समायोजित किया।

सीटू ने ओएसएच कोड बिल में संसदीय स्थायी समिति को अनुच्छेदानुसार संशोधनों को प्रस्तुत किया, जिसमें कामकाजी पत्रकार और सेल्स प्रमोषन एम्प्लॉइज के लिए विशेष अधिनियमों को निरस्त करने और उनके सभी श्रम अधिकारों को हटाने का विरोध किया गया था। इसके बाद, सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने बीटीआर भवन में बैठक की और ओएसएच कोड बिल में संशोधनों को संयुक्त रूप से अंतिम रूप दिया और उस आधार पर, स्वतंत्र रूप से संसदीय स्थायी समिति को ऐसे संशोधन प्रस्तुत किए और, स्थायी समिति ने 19 दिसंबर 2019 को बैठक के लिए आमंत्रित किया, जिसमें प्रस्तुतियाँ के अनुसार अपने विचार प्रस्तुत किए।

ओएसएच कोड पर केंद्रित विधेयक और संशोधनों की सीटू की आलोचना है कि, 8 घंटे के काम पर आईएलओ के पहले कन्वेंशन नंबर 01 सहित और निरीक्षणों आदि पर संबंधित कन्वेंशनों का उल्लंघन है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था; यह मौजूदा 13 अधिनियमों में मजदूरों के सुरक्षात्मक प्रावधानों को कमजोर करता है; सार्वभौमिक लागू पर सरकार की बयानबाजी विभिन्न धाराओं के परिभाषीकरण और न्यूनतम स्तर की सीमा में पूरा छलावा है, जो कोड की कवरेज में मजदूरों को शामिल करने की तुलना में अधिक बाहर करने की दिशा की ओर है।

सीटू ने स्थायी समिति का भी ध्यान आकर्षित किया है कि सुरक्षा मानकों और कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर धारा 125, 126, 127 और 128 के तहत 182 मामलों पर राजनीतिक कार्यपालिका संसद की षक्ति को कैसे प्रभावित कर रही है। ये सभी कार्रवाहियां सत्तारूढ़ व्यवस्था द्वारा मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की कीमत पर कॉरपोरेट्स की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की सुविधा के लिए की जा रही हैं।

संसदीय स्थायी समिति के साथ बैठक में, सीटू केंद्रीय सचिवमंडल का प्रतिनिधित्व आर. करुमलायन और अमिताव गुहा ने किया; और इसके फेडरेशनों एफएमआरएआई के सांतनु चटर्जी और प्रथा रक्षित और प्लान्टेशन वर्कर्स फेडरेशन के जिया–उल–आलम और समन पाठक आदि नेताओं द्वारा किया गया। *(आर. करुमलायन सीटू के राश्ट्रीय सचिवमण्डल में आमंत्रित सदस्य हैं)*

नहीं चाहिये सीएए; नहीं चाहिये एनआरसी

भाजपा सरकार की बाँटने व भटकाने की चाल को शिकस्त दो

पुष्पेन्द्र त्यागी

14 दिसम्बर, को जारी एक बयान के माध्यम से मजदूरों व आमतौर पर ट्रेड यूनियन आंदोलन तथा विशेष तौर पर अपनी इकाईयों तथा यूनियनों से किये आह्वान में सीटू ने भाजपा सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम (सी ए ए) तथा नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ देशव्यापी संयुक्त आंदोलन छेड़ने तथा इन मुद्दों के विरोध में देशव्यापी जनवादी आंदोलन में अन्य तमाम मेहनतकशों के साथ शामिल होने का आह्वान किया।

सीटू ने, भेदभावपूर्ण नागरिक संशोधन विधेयक को जल्दबाजी कर संसद में पारित करने और तुरन्त ही राष्ट्रपति की मंजूरी ले उसे कानून बना देने के लिए आरएसएस नेतृत्व की भाजपा सरकार की निंदा की। सीटू ने कहा कि देश के विधायी इतिहास में यह सबसे काला कानून है। यह, धर्मनिरपेक्षता, जनवाद, समावेशी बुनियाद पर हमला है ; भारत के संविधान के बुनियादी चरित्र को बदल कर 'हिन्दू राष्ट्र' की ओर ले जाने के लिए फासीवादी विधारधारा से निर्देशित सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा मानवता पर हमला। भाजपा सरकार की चाल मजदूर वर्ग व जनता को बाँटने के लिए है जो आक्रामक नवउदारवादी नीति निजाम के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। यह सरकार आर्थिक व सामाजिक शोषण तथा दमन के विरुद्ध उनके संघर्ष को दबाना चाहती है।

सीएए व एनआरसी को जनता के संयुक्त संघर्ष के दम पर हर चरण व हर मोर्चे पर परास्त किया जा सकता है। सीएए व एनआरसी के विरोध में लोग देश के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन को आवश्यक ही इसकी कमान संभालनी चाहिये।

17 दिसम्बर को 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने भेदभावपूर्ण सीएए व एनआरसी का कड़ा विरोध करते हुए जारी किये संयुक्त बयान में असम में विरोध करने वालों पर पुलिस दमन के कारण 3 लोगों के मारे जाने , जेएनयू, एएमयू, जामिया मिलिया इस्लामिया आदि के छात्रों पर बर्बर पुलिस दमन की घोर निंदा की। जिसमें बहुतों को चोटें आई और बड़ी संख्या में शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को गिरफ्तार किया गया।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने माँग की है कि सीएए को रद्द किया जाये, एनआरसी को रोका जाये, विरोध करने वालों पर पुलिस दमन बंद किया जाये। ट्रेड यूनियनों ने अपनी सभी यूनियनों से मजदूरों के बीच व्यापक अभियान चलाने तथा विरोध कार्रवाईयों में भाग लेने का आह्वान किया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ जारी और असम व अन्य उत्तर–पूर्वी राज्यों से शुरु हुए विरोध ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर लोगों का ध्यान खींचा है। जामिया मिलिया इस्लामिया व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पुलिस के बर्बर हमलों से देश भर में गुस्से व भर्त्सना का संचार हुआ। 19 दिसम्बर को यह आंदोलन तब और व्यापक हो गया जब अन्य वामपंथी दलों के आह्वान पर मजदूरों व अन्य कई सारे संगठनों के शामिल होने के साथ विरोध करने के लिए लोग, भाजपा शासित राज्यों में लागू विशेधाज्ञा आदेशों की परवाह न करते हुए देशभर में बड़ी सख्या में सड़कों पर आ गये। जामिया व एएमयू में पुलिस अत्याचार के बाद सारे देश में छात्र अगली कतारों में थे।

मेट्रोपोलिटन शहरों समेत देशभर में हजारों की तदाद में लोग शांतिपूर्ण ढंग से मोदी सरकार के असंवैधानिक व खतरनाक कदम का विरोध करने सड़कों पर उतरे। भाजपा शाषित राज्यों में पुलिस ने आंदोलन को दबाने के लिए भारी दमन का सहारा लिया जिससे उत्तेर प्रदेश में 16 तथा कर्नाटक के मैंगलोर में 2 लोगों सहित कई लोग मारे गये।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केन्द्र की भाजपा सरकार के निर्देश पर पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने तक की इजाजत नहीं दी। मंडी हाउस व लालकिले के पास नियत स्थानों पर जैसे ही विरोध करने वालों ने जुटना शुरु किया भारी संख्या में मौजूद पुलिस उन पर टूट पड़ी। पुलिस ने नेताओं व कार्यकर्ताओं को खींच–खींच कर बसों में धकेल दिया। हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनमें सीपीआइ(एम) महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासिचव डी. राजा समेत राजनीतिक पार्टियों के अन्य नेता, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों, छात्रों के जन संगठनों के साथ सीटू के नेता व कार्यकर्ता शामिल थे। राजधानी में 20 मेट्रो स्टेशनों व इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद छात्र नेताओं व ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की अगुवाई में प्रदर्शनकारी सीएए व एनआरसी के विरोध में नारे लगाते तख्तियाँ लिए जंतर–मंतर की ओर रवाना हुए जहाँ 10,000 हजार लोगों का विशाल प्रदर्शन हुआ। मंडी हाऊस व लालकिले से दिन में पहले गिरफ्तार किये नेता भी बाद में जंतर–मंतर की विरोध रैली में शामिल हुए।

उत्तर प्रदेश में वाराणसी में जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बड़ी संख्या में सीटू, अन्य जन संगठनों व वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं को 19 दिसम्बर को सीएए व एनआरसी के खिलाफ विरोध में शामिल होने के लिए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

सीएए व एनआरसी का विरोध करने वाले जामिया मिलिया इस्लामिया व एएमयू के छात्रों पर पुलिस के बर्बर अत्याचार की देशभर में निंदा हुई है और कितने ही अन्य विश्वविद्यालयों व प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों के छात्र एकजुटता में सड़कों पर आये हैं। छात्रों के साथ, शिक्षक, जाने–माने लेखकों , सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इन कार्रवाईयों में भाग लिया है ऐसी ही एकजुटता कार्रवाई के दौरान बैंगलुरु में जाने–माने इतिहासकार रामचन्द्र गुहा के साथ पुलिस की धक्का मुक्की व बदसुलूकी की व्यापक निंदा हुई है।

एआईकेएस के नेताओं हन्नान मोल्ला व कृष्णाप्रसाद, सीटू के दिल्ली राज्य अध्यक्ष विरेन्द्र गौड़, जेएनयूएसयू की अध्यक्ष आइशे घोष के प्रतिनिधिमंडल ने 16 दिसम्बर को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय परिसर का दौरा किया।

पुलिस दमन की निंदा, सीएए तथा एनआरसी का विरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सामने आया है। अमेरिका, यूके व यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के छात्रों ने एकजुटता कार्रवाईयां की हैं।

इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (आइडब्ल्यूए) ने 19 दिसम्बर को लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया। इसके अध्यक्ष दयाल बागड़ी व महासचिव जोगिन्दर बैंस ने एक बयान में कहा कि 'हम देशभक्त भारतीयों के रुप में ठगा महसूस करते है और गुस्से में हैं कि विविधता के साथ सहनशीलता का रास्ता दिखाने वाले हमारे महान देश में ऐसा नहीं होना चाहिये।' *(पुष्पेद्र त्यागी सीटू केन्द्र में कार्यरत उसके जनरल कौंसिल सदस्य हैं)*

उद्योग एवं क्षेत्र

तेल एवं पेट्रोलियम

निजीकरण के खिलाफ

देशव्यापी बड़ी हड़ताल

स्वदेश देव रॉय

देश के तेल और पेट्रोलियम मजदूरों की 25 यूनियनों के 3 राष्ट्रीय फेडरेशनों के संयुक्त नेतृत्व में; बीपीसीएल, एचपीसीएल और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (ओएनजीसी के स्वामित्व वाली एमआरपीएल) के लगभग 30,000 नियमित और ठेका मजदूरों ने 28 नवंबर को एक दिन की देशव्यापी सफल हड़ताल की जो मोदी सरकार द्वारा इन पीएसयू को तेल के व्यवसाय में अपनी पसन्द के विशाल निजी व्यवसायी को पूरी तरह से बेच देने के आत्मघाती कदम का विरोध करने के लिए थी। हड़ताल ने पूरे भारत में रिफाइनरी और विपणन संचालन दोनों को बहुत प्रभावित किया।

रिफाइनरियों में, हड़ताल के बड़े केन्द्र मुंबई, कोच्चि और मैंगलोर थे। जाहिर है, केरल के वामपंथी राज्य में कोच्चि रिफाइनरी में हड़ताल मुकम्मल थी। सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की यूनियनों ने पूरी ताकत के साथ हड़ताल में भाग लिया। सभी 1250 स्थायी और 6356 ठेका कर्मचारी हड़ताल पर थे। रिफाइनरी परिसर में और उसके आसपास हड़ताली मजदूरों द्वारा जुझारु और रंगारंग जुलूस, प्रदर्शन और धरना का आयोजन किया गया था।

मुंबई रिफाइनरी में हड़ताल मुकम्मल थी। मुंबई के दूर–दराज के स्थानों से आए विपणन कर्मचारियों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ चेंबूर रिफाइनरी गेट तक पद यात्रा की और लगभग 500 मजदूरों ने काली टी–षर्ट पहनकर दमदार प्रदर्शन का आयोजन किया। बाद में, 2,000 से अधिक मजदूरों ने रिफाइनरी गेट से लगभग नौ किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चेंबुर रेलवे स्टेशन के पास अम्बेडकर गार्डन तक लॉन्ग मार्च और एक बड़ी सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया। कई प्रमुख ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने हड़ताली मजदूरों को संबोधित किया। मैंगलोर रिफाइनरी में, लगभग 5,000 नियमित और ठेका कर्मचारी हड़ताल पर थे।

विजाग में एचपीसीएल रिफाइनरी के मजदूरों ने एक मार्च और प्रदर्शन का आयोजन किया। जबकि, एचपीसीएल और आइओसीएल के मार्केटिंग संचालन में ठेका कर्मियों और टैंकर लॉरी के मजदूरों ने सभी दक्षिणी राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पूरी ताकत से हड़ताल में भाग लिया।

असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी (एनआरएल) के मुख्य द्वार पर, नियमित और ठेका कर्मचारियों ने हड़ताल के समर्थन और बीपीसीएल के निजीकरण का विरोध में प्रदर्शन किया। आमतौर पर असम की जनता और एनआरएल के मजदूरों और विषेश रूप से आस–पास के गांवों की जनता के गंभीर विरोध और आंदोलन के मद्देनजर, सरकार को एनआरएल को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में इसे बीपीसीएल से अलग रखने के लिए सहमत होना पड़ा।

पूरे देश में लगभग सौ स्थानों पर विपणन संचालनों में हड़ताल का उल्लेखनीय प्रसार और सफल हुआ है। बॉटलिंग प्लान्टों, थोक भंडारण प्रतिष्ठानों और क्षेत्रीय मुख्यालयों में लगे सभी मजदूरों ने भारी तादाद में हड़ताल में भाग लिया।

नोएडा के उत्तरी आरएचक्यू और आसपास के राज्यों के लगभग 250 हड़ताली मजदूरों ने संसद के सामने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक रैली का आयोजन किया। रैली को कई सांसदों और केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं ने संबोधित किया। नई मुंबई के पास उरण में पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एशिया के सबसे बड़े बॉटलिंग प्लांट को हड़ताल के प्रभाव के कारण बंद करना पड़ा।

एकजुटता की कार्रवाहियाँ

केरल में, सीटू, एटक, इंटक, एचएमएस, यूटीयूसी और टीयूसीसी के संयुक्त आह्वान पर पूरे राज्य में मजदूरों ने बड़ी संख्या में सड़क पर रैलियां आयोजित करके और काला बिल्ला लगाकर एकजुटता से कार्रवाई की।

एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, केरल में इलेक्ट्रीसिटी एम्पलाईज फेडरेशन ऑफ इंडिया (ईईएफआई) के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने 30 नवंबर को कोच्चि रिफाइनरी गेट के सामने निजीकरण का विरोध कर रहे कोच्चि रिफाइनरी कर्मचारियों के संघर्षों की एकजुटता में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया।

सीटू के ऑल इण्डिया कोलवर्कर्स फेडरेशन के आह्वान पर, सीआईएल के कोयला मजदूरों, इसकी सहायक कंपनियों और एसईसीएल, कोयला असर वाले राज्यों में गेट मीटिंग और पिट मीटिंग आयोजित करके हड़ताली तेल मजदूरों के साथ एकजुटता कार्रवाहियों में षामिल हुए, और ईसीएल में 19, बीसीसीएल में 5, सीसीएल में 14, डब्ल्यूसीएल में 5, एसईसीएल में 7, और सीएमपीडीआई में 5 स्थानों सहित 55 कोयिलरियों में पर पुतला दहन किया गया।

एक ऊर्जा खंडों (कोयला और बिजली) के मजदूरों द्वारा एक अन्य ऊर्जा खंड (तेल और पेट्रोलियम) के हड़ताली मजदूरों के समर्थन में इतने बड़े पैमाने पर एकजुटता की कार्रवाई अभूतपूर्व है। ये रणनीतिक महत्व के क्षेत्र *''आर्थिक रूप से प्रमुख केंद्र में हैं और संपूर्ण पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली की नसें हैं।''*

पूँजीवाद के प्रणालीगत संकट के असर में है और दस संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार पूँजीपति समर्थक जनविरोधी नीतियों को अपना रही है; सार्वजनिक क्षेत्र के ऊर्जा उद्योग को भी संकट की ओर धकेला गया है। 8 प्रमुख क्षेत्रों में से, जो वृद्धि विकास के मामले में पिछले 14 वर्षों में सबसे खराब हालात का सामना कर रहे हैं; जिनमें से 5 ऊर्जा क्षेत्र हैं – कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और बिजली। स्पष्ट रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के ऊर्जा उद्योग आर्थिक और राजनीतिक संकटों के चलते विघटन और वाणिज्यिक ताकत में गिरावट और अंततः निजीकरण की ओर धकेले जा रहे हैं। स्थिति चुनौतीपूर्ण है और पूरे ऊर्जा क्षेत्र के मजदूरों के एकीकृत एकजुट प्रतिरोध संघर्ष के लिए अवसर प्रदान कर रही है।

संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र के मजदूरों का एकीकृत संघर्ष लाजिमी है

ऊर्जा क्षेत्र के सभी हिस्से विभिन्न आयामों की चुनौती से गुजर रहे हैं। ध्यान दिया जाए कि सीपीएसयू, जो वर्तमान में निजीकरण के हमले की जद में हैं, तेल और पेट्रोलियम, कोयला, बिजली और षिपिंग और कंटेनर क्षेत्रों से संबंधित हैं जिनमें मोदी सरकार के दो अंतरंग मित्र पूँजीपतियों – अंबानी और अडानी पहले से ही व्यापार कर रहे हैं।

ऊर्जा क्षेत्र – कोयला, बिजली और तेल और प्राकृतिक गैस समग्र रूप से नवउदारवादी नीतियों का सबसे ज्यादा शिकार है। उत्तरोत्तर सरकारें आत्मनिर्भर, सामाजिक कल्याण उन्मुख और जन केंद्रित ऊर्जा औद्योगिक नीतियों के लिए सहायक और जाँचे परखे संस्थानों को समाप्त करने के लिए नीतिगत हमलों को अंजाम देती आ रही हैं। वे निजी क्षेत्र के हित में कानून बनाते आ रहे हैं। इसके अलावा, कार्यकारी आदेशों के माध्यम से भी सार्वजनिक उपक्रमों के संरचनात्मक विनाश को लागू किया जा रहा है।

28 नवंबर की हड़ताल का संदेश जोरदार और स्पष्ट है, ऊर्जा क्षेत्र के सभी हिस्सों का एकीकृत और एकजुट संघर्ष, ऊर्जा क्षेत्र के वर्चस्व और नियंत्रण को, मोदी सरकार के अंतरंग मित्र पूँजीपतियों को सौंपने के कदम को परास्त करने के लिए है।

कोलकाता कन्वेंशन में हड़ताल के आयामों और अगली कार्रवाही

हड़ताल का परिमाण साफतौर से मोदी सरकार के तेल पीएसयू के निजीकरण के कदम से लड़ने के लिए मजदूरों के दृढ़ संकल्प का प्रदर्शित किया है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मोदी सरकार की डांट और धमकी तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के इशारे पर प्रबंधन द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त किए गए और निषेधात्मक आदेशों के बावजूद भी मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया है। 28 नवंबर की हड़ताल के दौरान कई नए उत्साहजनक घटनाक्रम देखे गए हैं। हड़ताल में भागीदारी के मामले में जिन स्थानों पर ऐतिहासिक रूप से कमजोरी रही है, वहाँ इस बार असाधारण सफलता दर्ज की गई। मोदी सरकार की नीतियों की निंदा की आवाज रैलियों और धरनों में आवाजें उँची थी। महिला मजदूरों की भागीदारी उल्लेखनीय थी। पूरे देष में सड़कों पर प्रदर्शनकारी भीड़ ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया और उसका चरित्र जुझारु था।

हड़ताल के बाद, तीन राष्ट्रीय फेडरेशनों के बैनर तले तेल एवं पेट्रोलियम कर्मचारियों का राष्ट्रीय अधिवेशन 22 दिसंबर, 2019 को कोलकाता में होगा। आगामी कोलकाता सम्मेलन में भागीदारी और निष्कर्ष के बारे में यूनियनों के बीच प्रत्यक्ष उत्साह है। *(एस देव रॉय सीटू के राष्ट्रीय सचिव और ईएफएफआई के अध्यक्ष हैं)*

एनटीपीसी कर्मचारियों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन

भारी लाभ अर्जित करने वाले इस सीपीएसयू के प्रस्तावित विनिवेश के खिलाफ, 15 नवंबर को, एनटीपीसी के हजारों कार्यपालक और गैर–कार्यपालक कर्मचारियों ने सुबह से ही गेटों पर धरनों–प्रदर्शनों के आयोजन किए और देश भर में एनटीपीसी की सभी 50 इकाइयों में परिवार के सदस्यों के साथ कैंडल लाइट जुलूस निकाले।

सीटू की पहल पर, मोदी सरकार के एनटीपीसी के निजीकरण के कदम के खिलाफ एनटीपीसी मजदूरों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 4 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

निर्माण

मजदूरों का प्रभावी संसद मार्च

सीटू के सीएफडब्ल्यूआई (कंस्ट्रक्षन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) के नेतृत्व में देश भर से आए 15,000 से अधिक निर्माण मजदूरों ने 5 दिसम्बर को संसद मार्च में झंडों, तोरणों और बैनरों और लोक सभा अध्यक्ष के नाम याचिका पर एक करोड़ हस्ताक्षरों के साथ षामिल हुए; और जब संसद मार्ग पर पुलिस बैरिकेड द्वारा अवरुद्ध किया गया था, तो इसे रैली प्रदर्शन और एक विशाल सभा में बदल दिया गया था और इस बैठक में मोदी सरकार के मजदूर विरोधी दो प्रस्तावित ल्बेर कोड – ओएसएच पर कोड और एसएस कोड के माध्यम से निर्माण मजदूरों के लिए दो विषेश श्रम कानूनों – भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन) और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1996 (बीओसीडब्ल्यू) अधिनियम और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (बीओसीडब्ल्यू) उपकर अधिनियम के प्रस्तावित निरस्तीकरण को रोकने की माँग की गई।

सीएफडब्ल्यूआई के अध्यक्ष और महासचिव और राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं – सीटू महासचिव तपन सेन, इसके राष्ट्रीय सचिव व सांसद ई. करीम और एलपीएफ महासचिव व सांसद एम. षणमुगम ने रैली को संबोधित किया। सीएफडब्ल्यूआई के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और सामूहिक हस्ताक्षर के साथ याचिका प्रस्तुत की।

लोकसभा अध्यक्ष के नाम याचिका पर 3 महीने के लंबे देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान का समापन यह संसद मार्च था, जिसके माध्यम से बीओसीडब्ल्यू एक्ट और बीओसीडब्ल्यू सेस एक्ट को रद्द करने का आग्रह करना है। इस देशव्यापी प्रचार अभियान के दौरान, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के सम्मेलनों, रैलियों और नुक्कड़ मीटिंगों का आयोजन करके याचिका पर बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर संग्रह किया गया था। आंदोलन की तीव्रता और प्रसार उत्तरी राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली में प्रभावशाली था, जिसके परिणामस्वरूप इन राज्यों से मजदूरों की अधिक भागीदारी मिली।

देश के करोड़ों निर्माण मजदूर मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीति का सबसे बुरा शिकार होने जा रहे हैं, जिसमें सभी 44 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में बांटा गया है, जिस के तहत सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधाओं सहित मौलिक ट्रेड यूनियन अधिकारों, लाभों और सुविधाओं को काफी हद तक हटाकर या पतला करके अंकुश लगाया गया है।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम और बीओसीडब्ल्यू उपकर अधिनियम पेंषन, आकस्मिक मुआवजे, गृह निर्माण ऋण/सहायता, मातृत्व लाभ, बच्चों की शिक्षा भत्ता/सहायता, मामूली/प्रमुख चिकित्सा संचालन सहायता, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसी विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के वैधानिक प्रावधान प्रदान करते हैं। नियोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए, इन दो अधिनियमों को काटकर, समाप्त या हल्का करके और चस्पा करके दो लेबर कोडस् – व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों (ओएसएच पर कोड) और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (एसएस कोड) में शामिल करके निरस्त किया जा रहा है।

निर्माण मजदूरों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे निर्माण से संबंधित सुरक्षा खतरों में काम करते हैं। घातक दुर्घटनाओं के शिकार लोगों की सबसे बड़ी संख्या निर्माण उद्योग से है। प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी संख्या – ग्रामीण से शहरी, अंतर–राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण उद्योग से हैं। जिस तरह से सरकार निर्माण मजदूरों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को दूर कर रही है, वह निर्माण मजदूरों के लिए उनके जीवन और आजीविका के संबंध में दुःस्वप्न लाने वाली है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के विषय में ये अधिकार और लाभ 1980 के दशक के उत्तरार्ध में मजदूरों के सड़कों पर और बलिदानों के साथ लंबे समय से जारी संघर्ष की उपलब्धियां हैं। सीपीआई (एम) के तत्कालीन सांसद समर मुखर्जी सहित सांसदों द्वारा 'प्राइवेट मेंबर्स बिल' पेश करने सहित संसद में इस मामले को उठाने में इस तरह के संघर्ष ने ताकत दी।

संसद मार्च ने निर्माण मजदूरों के बीच सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों, विशेष रूप से श्रम कानूनों को समाप्त करने से लड़ने के उनके संकल्प को मजबूत करने का उत्साह पैदा किया है।

इस संसद मार्च का तात्कालिक उत्साहजनक प्रभाव निस्संदेह तौर पर केन्द्रीय ट्रेड यूनियों और फेडरेशनों के संयुक्त मंच द्वारा बुलायी गयी आगामी राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में निर्माण मजदूरों की भागीदारी में परिलक्षित होगा। *(साभारः एस देव रॉय के लेखन से)*

योजना मजदूर

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयः

मिड डे मील वर्कर्स को मिलेगा 12 महीने का वेतन

e/;kUg Hkkstu etnjksa ds l?k"kZ dh ,d cMh thr ds :i esa] 31 vDVwcj] 2019 dks fgekpy çns'k mPp U;k;ky; us ekuk gS fd 10 eghus ds ekuns; ds Hkqxrku ds ctk; os 12 eghus ds oru ds gdnkj gSA

सीटू की हिमाचल प्रदेश मिडडे मील वर्कर्स यूनियन द्वारा दायर 2010 की रिट याचिका सीडब्ल्यूपी सं० 8457 में फैसला सुनाते हुए, 31 अक्टूबर, 2019 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने कहा कि *''एक कैलेंडर वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए मध्यान्ह भोजन मजदूरों को देय मानदेय को प्रतिबंधित करने का सरकार का काम मनमाना, भेदभावपूर्ण और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।''*

इसलिए, फैसले में, अदालत ने सरकार को *''मध्यान्ह भोजन मजदूरों को पूरे कैलेंडर वर्ष के लिए मानदेय का भुगतान करने और 10 महीने की अवधि के लिए प्रतिबंधित न करने का निर्देश दिया जैसा कि अभी तक किया गया है।''* इस आदेश की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा, *''इसलिए (1 नवंबर, 2019 से प्रभावी) हिमाचल प्रदेश में याचिकाकर्ता यूनियन के सदस्य मध्यान्ह भोजन मजदूर पूरे कैलेंडर वर्ष के लिए वेतन के हकदार होंगे''।*

तदर्थ शिक्षक के संबंध में रतन लाल एंव अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (1985) (4 एससीसी 43) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तदर्थ शिक्षकों के वेतन और भत्ते की गर्मियों की छुट्टियों की अवधि से इनकार करने की सरकार की प्रथा को अनुचित करार दिया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि *तदर्थ शिक्षकों* को गर्मी की छुट्टियों की अवधि के लिए भी वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

मध्यान्ह भोजन मजदूरों के बारे में वर्तमान निर्णय ने बलदेव सिंह एवं अन्य बनाम एच.पी. राज्य एवं अन्य में ठेका शिक्षकों के सम्बन्ध में [एलजे 2009 (एचपी) 293] में हिमाचल प्रदेष उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के एक पुराने फैसले को भी संदर्भित किया। डिवीजन बेंच के फैसले में कहा गया था, ''अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए शिक्षकों ने 2 से 3 साल से अधिक की अवधि के लिए काम किया है और छुट्टी की अवधि के लिए वेतन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है''।

मीडिया

श्रम संहिता के खिलाफ

पत्रकारों ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय तक मार्च किया

सरकार को उनके पहले प्रस्तुतिकरण और जुलाई में संसद सदस्यों से अपील के बाद; नेशनल एलायंस ऑफ जर्नलिस्ट्स (एनएजे) और दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस् (डीयूजे) के नेतष्त्व में, दिल्ली में कार्यरत पत्रकारों ने, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के परिसर से केंद्रीय श्रम मंत्रालय तक 17 नवंबर को एक मार्च का आयोजन और धरना प्रदर्शन और सभा आयोजित करके अपने आन्दोलन को बढ़ाया। जो मीडिया को नियंत्रित करने के प्रयास में श्रम संहिता लागू करने के माध्यम से कामकाजी पत्रकारों के सभी वैधानिक श्रम अधिकारों को हटाने के मोदी सरकार के कदम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए था।

पत्रकारों को इस बात की गहरी चिंता है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस 2019 (ओएसएच कोड) कोड में, वर्किंग जर्नलिस्ट्स एंड अदर न्यूजपेपर एम्प्लॉइज (कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड मिस्लेनियस प्रोविजन्स) एक्ट 1955 के तहत मिले हुए, कामकाजी पत्रकारों के वैधानिक श्रम अधिकार को चुनिंदा तौर पर छीनने के प्रावधान हैं, और वर्किंग जर्नलिस्ट (वेतन निर्धारण) अधिनियम, 1958, के तहत, भविष्य में भी कामकाजी पत्रकारों के वेतन बोर्ड को समाप्त करता है।

पत्रकार यूनियनों ने माँग कर रही हैं कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में संशोधन करके टीवी पत्रकार और ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के सभी रूपों को शामिल किया जाऐ। श्रम कोड में ठेका प्रणाली की समाप्ति, जोखिम बीमा, आपराधिक मानहानि से सुरक्षा, उचित पेंषन और अन्य जरूरतों को पूरा करने की उनकी माँगों को पूरा करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बजाय यह वेतन बोर्डों, तीन महीने के छंटनी वेतन और अन्य लाभों सहित मौजूदा हितलाभों;और सभी प्रकार के कानूनी संरक्षण और ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीनने वाला है। यूनियनों के बयान में कहा गया है कि कॉरपोरेट मीडिया स्वतंत्र रूप से भुगतान करने, काम करने की शर्तों को लागू करने और काम पर लेने और निकालने की नीति अपनाने के लिए स्वतंत्र होगा।

पत्रकारों ने कोड के खिलाफ अभियान जारी रखने के लिए एक एकजुटता समिति का गठन किया। प्रदर्शनकारियों को एनएजे के अध्यक्ष एस.के. पांडे और संयुक्त सचिव ए.एस. सुरेश कुमार; डीयूजे महासचिव सुजाता मधोक और सचिव ए.एम. जिगीश; केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स के सचिव जीनेश पी. और सिद्दीक कप्पन; वयोवृद्ध पत्रकार टी.के. राजलक्ष्मी और सीटू दिल्ली राज्य सचिव सिद्धेश्वर शुक्ला आदि ने सम्बोधित किया।

अन्य राज्यों में पत्रकारों का विरोध

असम

1 अगस्त को केंद्रीय श्रम मंत्री को एक ज्ञापन में, इण्डियन जर्नलिस्टस् यूनियन से सम्बद्ध, असम के पत्रकार संघ (जेयूए) ने वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट और वर्किंग जर्नलिस्ट (वेतन निर्धारण) अधिनियम को ओएसएच कोड के माध्यम से निरस्त करने का जोरदार तरीके से विरोध किया और इसकी वापसी की माँग की है।

जेयूए के बयान में कहा गया है कि सरकार ने ''कॉरपोरेट मीडिया सामन्तों का पक्ष लिया है जो लगातार वेज बोर्ड को खत्म करने और वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को खत्म करने की माँग करते आ रहे हैं। मीडिया हाउस ने अखबार उद्योग के लिए वेतन बोर्ड की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट की संवैधानिक वैधता को फिर से असफलता के साथ चुनौती दी है।''

''जेयूए सरकार को याद दिलाना चाहता है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की आधारशिला 1954 में प्रेस आयोग द्वारा रखी गई थी, जब उसने पत्रकारों की नौकरी की प्रकृति को यह कहते हुए नजरंदाज कर दिया था कि *'उनके काम को अन्य उद्योगों की तरह नहीं मापा जा सकता'* और *''कार्यकाल की असुरक्षा इस पेशे के लिए अजीब है . . . . बेरोजगारी का जरूरी नहीं कि अन्य व्यवसायों में परिणाम होगा।''*

''जेयूए, इसलिए सरकार से माँग करता है कि वह तुरंत मजदूर वर्ग विरोधी, पत्रकार विरोधी और मीडियाकर्मियों के श्रम कोड बिलों को तुरंत वापस ले।''

अरुणाचल प्रदेश

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (एपीयूडब्ल्यूजे) के बैनर के तहत अरुणाचल प्रदेश में पत्रकारों ने काला बिल्ला पहनकर शुक्रवार 2 अगस्त को बैठकी की और विरोध प्रदर्शन करते हुए वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट (1955) को रद्द करने के प्रावधानों को वापस लेने की माँग की और श्रम संहिता विधेयकों में अन्य श्रम कानूनों के साथ, वर्किंग जर्नलिस्ट (वेतन निर्धारण) अधिनियम 1958 के साथ संसद के अंतिम बजट सत्र में रखे गए थे।

भारत में गिरावट

नोट बंदी के साथ खपत में कमी: आर.बी.आई. के आँकड़े

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों से पता चलता है कि नोटबन्दी के बाद, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए कर्जों में सितंबर 2019 तक 73% तक कम हो गए हैं। वित्त वर्ष 2017–18 में यह 5.2% कम हुआ; वित्त वर्ष 2018–19 में 68% का आँकड़ा चौंकाने वाला और इस वित्त वर्ष में आज की तारीख तक जारी रहा। विशेषज्ञ इस गिरावट को नोटबन्दी के बाद, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में आय में कमी की जिम्मेदार मानते हैं। *(स्रोतः डेक्कन हेराल्ड; 07.09.2019)*

यह गिरावट - गहरी और लम्बी है

- उलट–पलट मानसून, बढ़ा हुआ एनपीए और आत्मघाती नीतियों के परिणामस्वरूप भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6% घटकर 4.5% हो गई।
- कृषि संकट और ग्रामीण खपत में गिरावट के कारण 4 दशकों में पहली बार 2017–18 में उपभोक्ता खर्च में यह गिरावट है।
- बेरोजगारी 45 साल के दौरान सबसे बड़ी ऊंचाई पर है।
- खाद्य मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 6.9% हो गई, जो 39 महीने का उच्च स्तर है। इससे खुदरा मुद्रास्फीति और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में 4.6% तक का उछाल है।
- राजकोषीय घाटा पहले से ही बजट अनुमानों का 102% है। जीडीपी वर्षद्धि दर बजट में अनुमानित 12% के आधे से मामूली उपर 6.1% पर है।
- वास्तविक राजस्व अनुमान से कहीं बहुत कम होने की उम्मीद है।
- दूसरी तिमाही में भारत के निर्यात में 0.4% की गिरावट आई है।

(स्रोतः बिजनेसलाइन; 05.12.2019)

राज्यों से

पश्चिम बंगाल

वर्कर्स लॉन्ग मार्च

पश्चिम बंगाल में 30 नवंबर को शुरू होकर 10/11 दिसंबर 2019 को समापन होने वाले दो हिस्सों में ऐतिहासिक 'वर्कर्स लॉन्ग मार्च' पश्चिम बंगाल के अधिकांश जिलों में प्रदर्शित हुआ। राज्य में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों के संयुक्त मंच ने 'वर्कर्स लॉन्ग मार्च' का नेतृत्व किया। – एक चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्ल्यू) से कोलकाता और दूसरा उत्तर बंगाल के सभी 7 जिलों के औद्योगिक केंद्रों, कस्बों, चाय बागानों और ग्रामीण क्षेत्रों से होकर सिलिगुड़ी तक पहुँचा।

दो भागों के मजदूरों के लॉन्ग मार्च ने दुर्गापुर की इस्पात बस्ती को कवर करते हुए 654 किलोमीटर की यात्रा की; हावड़ा, जिसे कभी बंगाल का इंजीनियरिंग हब कहा जाता था; जूट और अन्य विनिर्माण उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हुगली, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना; कृषि आधारित जिले पश्चिम बर्धमान और पश्चिम मेदिनीपुर; रिफाइनरी और डॉक क्षेत्र पूर्बा मेदिनीपुर; नादिया के हाथ करघा और पावरलूम उद्योग, मुर्शिदाबाद के बीड़ी उद्योग, टेराई में चाय उद्योग, दरवाजे और पहाड़ियां; और मालदा में बिजली उद्योग हैं।

इसके अलावा, विभिन्न चरणों में मुख्य पदयात्रा में शामिल होने से पहले जिला, मुहल्ला, उपखंड, ब्लॉक, नगर पालिका और पंचायत वार रैलियां की गईं। राज्य में कुल लगभग 6,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई और लगभग 4 लाख मजूदरों ने ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लिया।

इस कार्यक्रम को किसानों, खेत मजदूरों और महिलाओं, युवाओं, छात्रों, पेंशनरों आदि के संगठनों द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन किया गया था, इन संगठनों की जिलावार बैठकें हुई थीं, अक्टूबर–नवंबर में जिलावार और उद्योगवार संयुक्त सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जिसमें हजारों मजदूरों और जनता के अन्य तबके कार्यकर्ता शामिल हुए।

संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच की ओर से सीटू ने लॉन्ग मार्च की माँगों पर पूरे राज्य में व्यापक अभियान चलाया। लोगों की प्रतिक्रिया उत्साहपूर्ण थी। पूरे रास्ते में, स्थानीय लोग सड़कों के दोनों किनारों पर एकत्र हुए और मार्च के प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं।

लॉन्ग मार्च के मुद्दे

सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को समाप्त करने और निजीकरण अभियान के मोदी सरकार के कदम का विरोध; और बड़े पैमाने पर नौकरियों का खत्म होने सहित अन्य ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ; तेजी से बढ़ती बेरोजगारी; नई शिक्षा नीति के खिलाफ; शिक्षा का व्यावसायीकरण और शुल्क में वृद्धि; और एनआरसी लागू करके विभाजनकारी नीति के खिलाफ यह 'वर्कर्स लॉन्ग मार्च' था।

पिछले एक दशक के दौरान उत्तरोत्तर केंद्रीय सरकारों ने पश्चिम बंगाल में 56 सार्वजनिक उपक्रमों को बंद कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप इन उद्योगों के मजदूरों के बीच काम–काज और आजीविका के भारी संकट पैदा हुए हैं। बीसीपीएल, ब्रिज एंड रूफ, एएसपी–दुर्गापुर, सीडब्ल्यूएल और कुछ अन्य मोदी–2 सरकार के आक्रामक निजीकरण की मुहिम की सूची में हैं। यह बेरोजगारी की स्थिति को और बदतर बना देगा। राज्य सरकार ने भी केंद्र और राज्य के पीएसयू को बचाने के लिए कोई पहल नहीं की है। इसके अलावा, कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों के नेविगेशन की क्षमता बढ़ाने के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

इसके अलावा, एनआरसी और सीएबी के नाम पर, केंद्र सरकार का इरादा पश्चिम बंगाल में सामाजिक सद्भाव को बर्बाद करना है।

इन सभी के चलते ''पीएसयू बचाओ, उद्योग बचाओ''; ''आजीविका और वेतन की रक्षा करो''; ''राज्य बचाओ–देश बचाओ'' और ''एनआरसी'' नहीं के नारे सामने आए हैं।

सिलीगुड़ी के लिए लॉन्ग मार्च

'वर्कर्स लॉन्ग मार्च' का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल के हिस्से 'उत्तर बंगाल' के 7 जिलों में से प्रत्येक में 30 नवंबर को शुरू हुआ। 11 दिनों के कठिन मार्च ने 371 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सिलीगुड़ी में 10 दिसम्बर को संयुक्त मार्च और रैली में परिवर्तित हो गया। इन 11 दिनों के दौरान, प्रत्येक जिले, सब–डिवीजन, ब्लॉकों और नगरपालिका या पंचायत क्षेत्रों और चाय बागानों में सैकड़ों पदयात्राऐं और रैलियां आयोजित की गईं। दरवाजों और पहाड़ियों में लगभग 50 चाय बागानों के हजारों मजदूरों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया।

10 दिसंबर को उत्तर बंगाल के लॉन्ग मार्च का समापन सिलीगुड़ी में प्रतिष्ठित बाघजतिन पार्क में एक विशाल रैली और बैठक में हुआ। बैठक को सिलीगुड़ी के मेयर अशोक भट्टाचार्य विधायक, सीटू राज्य महासचिव अनादि साहू, एटक के उज्जवल चौधरी, इंटक के मणि कुमार जैनल एचएमएस के राजीव सान्याल, यूटीयूसी के अशोक घोष, टीयूसीसी के दीपक मुखर्जी, एआईयूटीयूसी के अभिजीत रॉय, एआईसीसीटीयू के बासुदेव बसु, चाय कर्मचारियों के संयुक्त मंच से जियाउल आलम, किसानों के आंदोलन के नेता केबी वत्तार, विधायक मालाकार ने संबोधित किया।

कोलकाता के लिए लॉन्ग मार्च

लॉन्ग मार्च का मुख्य हिस्सा 30 नवंबर को चित्तरंजन के सीएलडब्ल्यू के जीएम–कार्यालय से षुरू हुआ और 283 किलोमीटर की दूरी तय की। 200 प्रतिभागियों ने 30 नवंबर से 12 दिनों तक चलने वाले मार्च के 11 दिसंबर को कोलकाता में समापन तक प्रमुख आयोजकों के तौर पर का आयोजन किया। विभिन्न चरणों में, विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 4 लाख मजदूरों और अन्य तबकों, क्षेत्रों और उद्योगों के लोगों ने कार्यक्रमों में भाग लिया। इन 12 दिनों के दौरान, संबंधित जिला कमेटियों द्वारा भोजन, रहने और चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी।

11 दिसंबर को, राजभवन के समक्ष एक रैली आयोजित करने के लिए, राज्य भर से अन्य मेहनतकश तबकों से एक लाख से अधिक मजदूरों ने लाल झंडे, बैनरों, टोपियों आदि के साथ षामिल होने के लिए कोलकाता शहर में प्रवेश किया, इसे लाल संगम के रूप में बदल दिया। हालांकि, टीएमसी राज्य सरकार ने बाधाओं को डाला और रैली में बाधा डालने के लिए विभिन्न तरीकों से रुकावटें पैदा कीं। रैली और बैठक अंततः रानी रशमोनी एवेन्यू में आयोजित की गई। एक लाख से अधिक लोगों ने ''पदयात्रियों'' के साथ कार्यक्रम स्थल तक मार्च किया। मार्च में शामिल होने वाले जुलूसों को रोकने के इरादे से कई सड़कों को पुलिस ने अवरुद्ध कर दिया था। केवल एक छोटे से क्षेत्र को छोड़कर माइक्रोफोन को जबरन काट दिया गया। इन के बावजूद, प्रतिभागियों ने शहर के दिल एस्पलेनैड में पहुँचकर ही रुके।

ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च के अंत में रैली, और विशाल बैठक को सीटू महासचिव तपन सेन, उपाध्यक्ष रत्ना दत्ता और पश्चिम बंगाल राज्य सचिव अनादि साहू ने संबोधित किया; एआईकेएस (36 कैनिंग लेन) के राष्ट्रीय नेता अशोक धवले और एआईकेएस के अतुल अंजान; और अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेता – टीयूसीसी के जी. देबराजन, यूटीयूसी के अशोक घोष, एआईसीसीटीयू के निरेंद्र नाथ बनर्जी, एचएमएस के बी.सी. पाल, एआईयूटीयूसी के अशोक दास, इंटक (राज्य) के कमरुज्जमां कमर, और बेफी, बीएसएनएल और 12 जुलाई समिति के नेताओं ने सम्बोधित किया।

अध्यक्षमंडल की ओर से सुभाश मुखर्जी ने अपने संक्षिप्त विचारों के साथ बैठक की शुरुआत की। वक्ताओं ने अभूतपूर्व लॉन्ग मार्च के प्रतिभागियों को बधाई दी और राज्य में 8 जनवरी 2020 को आम हड़ताल को व्यापक और व्यापक बनाने के लिए जनता को तैयार करने का आह्वान किया।

इस अनोखे वर्कर्स लॉन्ग मार्च ने 8 जनवरी, 2020 की हड़ताल की सफलता के लिए मजदूरों और अन्य सभी तबकों की जनता में भारी उत्साह पैदा किया।

दिल्ली

सुरक्षा मानदंडों की अनुपस्थिति

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में

कारखानों में नियमित रुप से मरते मजदूर

13 दिसंबर को एक बयान में, सीटू ने रविवार, 8 दिसंबर, 2019 की अल सुबह उत्तरी दिल्ली की अनाज मंडी में भीषण आग के बारे में दिल्ली में अपने कैडरों के माध्यम से एकत्र किए गए विवरणों को जानने पर गहरा आघात और पीड़ा व्यक्त की।

बैग बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से 43 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई और 56 मजदूर अत्यंत नाजुक हालात में हैं। सभी पीड़ित प्रवासी मजदूर थे, जो ज्यादातर बिहार से थे; उनमें से कुछ बाल मजदूर थे, जिन्होंने दिल्ली में घोषित न्यूनतम वेतन के पूर्ण उल्लंघन के साथ प्रति दिन 150 रुपये की एक मामूली राशि पर निर्धारित समय से अधिक समय तक हर पाली में काम किया। भीड़भाड़ वाले आवासीय क्षेत्र में चल रहे अवैध कारखाने में सभी सुरक्षा मानदंडों और श्रम कानूनों का उल्लंघन किया गया।

कारणों की जाँच करने के लिए सीटू कैडरों ने कई बार दौरा किया, उन्होंने पाया कि तीनों प्राधिकरण– उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), एनसीटी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इस त्रासदी, कुशासन और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं।

एनडीएमसी एक मंजूरीदाता प्राधिकारण है और आवासीय क्षेत्रों बड़े पैमाने पर ऐसे अवैध जहाँ फैक्ट्री जैसे आग की घटना हुई थी, के लिए जिम्मेदार है।

एनसीटी दिल्ली सरकार सुरक्षा मानदंडों को लागू करने, हाल ही में घोषित न्यूनतम वेतन सहित बाल श्रम पर रोक लगाने और श्रम कानूनों को लागू करने में उसके श्रम प्रवर्तन अधिकारियों की घोर विफलता के लिए जिम्मेदार है।

आवासीय क्षेत्रों में इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों की अनुमति देने, कारखानों के 'इन्स्पेक्शन' को समाप्त करने और केन्द्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस की विफलता/जटिलता के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।

दिल्ली में सुरक्षा मानदंडों की अनुपस्थिति के कारण, इस जुलाई 2019 में झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में हुई बड़ी आग सहित बार–बार आग लगने से मजदूरों की मौतों की वजह है।

सीटू ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायल लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। सीटू ने मरने वालों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा; और चिकित्सा देखभाल के साथ घायलों को मुआवजा देने की माँग की।

सीटू ने घटना की उचित और त्वरित जाँच, व्यवस्था की विफलताओं और भ्रष्टाचार में शामिल होने के लिए दोषियों को सजा देने की माँग की है।

सीटू ने दिल्ली में सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कमियों की तत्काल जाँच करने, रिपोर्ट प्रकाशित करने और सुधारात्मक उपाय करने; और ऐसे सभी प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानदंडों और श्रम कानूनों को लागू किए जाने की भी माँग की है।

ट्रेड यूनियनों की जाँच

इसके प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गौड़ के नेतृत्व में, सीटू की चार सदस्यीय टीम ने उस जगह दौरा किया जहाँ दिल्ली में 8 दिसंबर को तड़के अनाज मंडी में फैक्ट्री में आग लगी थी।

9 दिसंबर को, दिल्ली राज्य के केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं (सीटीयू) – एटक, एचएमएस, सीटू, सेवा, यूटीयूसी, एआईसीसीटीयू, आईसीटीयू और इंटक की एक टीम ने अनाज मंडी में उस जगह का दौरा किया, जहाँ एक दिन पहले एक बैग बनाने के कारखाने में आग लग गई थी जिसमें 43 मजदूरों की मौत हो गयी और कई अन्य घायल हो गए; और इलाके के मजदूरों और निवासियों से जानकारियाँ एकत्र की। उन्होंने स्थानीय पुलिस एसएचओ से भी मुलाकात की। सीटू से अनुराग सक्सेना और एच.सी. पंत और सीपीआई (एम) के स्थानीय नेता और इसके राज्य सचिवमंडल के सदस्य नाथू प्रसाद जांच दल में थे।

उन्होंने पाया कि मजदूरों के अंदर रहने के दौरान बाहर से ताला लगाना ऐसी फैक्ट्रियों में आम बात है। एसएचओ ने मौतों और घायल मजदूरों के बारे में जानकारी दी; फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी, आईपीसी की धारा 304 और 308 के तहत एफआईआर दर्ज करना और दिल्ली कानूनी राज्य सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित परिवारों को वैधानिक मुआवजा और न्याय देने का प्रयास के बारे में बताया।

एक संयुक्त बयान में, सीटीयू ने कहा कि ऐसी घटनाएं बार–बार हो रही हैं। 3 महीने पहले ऐसी घटना झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में हुई थी जहां 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। उस अवसर पर, सीटीयू के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर संकेत दिया था कि पिछले साल 6 औद्योगिक दुर्घटनाऐं अकेले फैक्ट्री अधिनियम में निर्धारित किए गए सुरक्षा मानकों के अभाव में हुईं, ऐसे ही कार्य स्थलों पर, 100 से अधिक कामगारों की मौतें हुईं। प्रतिनिधिमंडल ने सभी कार्य स्थलों पर सभी सुरक्षा मानदंडों को तत्काल लागू करने की माँग की; सभी औद्योगिक क्षेत्रों में त्रिपक्षीय समितियों की स्थापना; और सुरक्षित काम के माहौल को सुनिश्चित करने के बारे में है। लेकिन, दुर्भाग्य से, दिल्ली सरकार ज्ञापन पर कोई कार्रवाई करने में विफल रही। एक तरफ दिल्ली सरकार श्रम कानूनों को लागू नहीं कर रही है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार नियोक्ताओं के पक्ष में श्रम कानूनों में संशोधन कर रही है।

एनसीटी दिल्ली में लाखों प्रवासी कामगार हैं। लेकिन, उन्हें न तो पंजीकृत किया जा रहा है और न ही न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जा रहा है। नियोक्ता उन्हें दास के रूप में मानते हैं। श्रम विभाग लकवाग्रस्त और निष्क्रिय है। 11 जिला स्तर के श्रम कार्यालयों में केवल 16 श्रम निरीक्षक हैं। इन तथ्यों को बार–बार और संयुक्त रूप से दिल्ली सरकार के संज्ञान में लाया गया है, लेकिन, कोई सुधार नहीं हुआ।

सीटीयू ने संयुक्त रूप से सभी मजदूरों तत्काल पंजीकरण; मालिकों द्वारा सभी वैधानिक अभिलेखों का रखरखाव जिसमें नियुक्ति पत्र, ईएसआई, पीएफ, उपस्थिति रजिस्टर आदि शामिल हैं; सभी औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठानों में सभी श्रम कानूनों को लागू करना और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की माँग की है।

सीटीयू ने मरने वालों में से प्रत्येक के परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजे और नौकरी; अपराधी नियोक्ता और विभिन्न विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों को सजा की माँग की है।

झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में आग

13 जुलाई, 2019 को एनसीटी दिल्ली के झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में एक सैनिटरी पार्ट्स बनाने वाली इकाई में आग लग गई, जिसमें सुरक्षा मानकों के घोर उल्लंघन और कानूनों के लागू करने के अभाव में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जिनमें 2 महिलाएं सहित कई अन्य मजूदर घायल हो गए।

आग लगने के बाद, सीटू दिल्ली राज्य समिति की एक जाँच टीम ने जगह का दौरा किया; जानकारी एकत्र की और पाया कि लगभग 500 इकाइयों वाले औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 50,000 मजूदर हैं। इसमें संकरी गलियों में कई बहुमंजली अवैध निर्माण हैं जो आपात स्थिति में अग्निशमन वाहनों के प्रवेश को रोकते हैं। सभी सुरक्षा मानदंडों सहित श्रम कानूनों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। इस औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों द्वारा ऐसी जगहों पर काम करना आम बात है, जहाँ कारखानों में केवल एक प्रवेश/निकास द्वार है और आपातकालीन गेट आदि या तो बाहर से तालाबन्द होते या डंपिंग सामग्री के साथ अवरुद्ध रहते हैं।

जबकि, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के नाम पर मोदी सरकार मजदूरों की सुरक्षा और संरक्षण के मानदंडों को दरकिनार करके नियोक्ता–हित में श्रम कानून में बदलाव करने जा रही है; दिल्ली की केजरीवाल सरकार मौजूदा सुरक्षा मानदंडों और श्रम कानूनों को लागू करने के लिए कोई भी पहल करने से हिचक रही है। नतीजतन, 2018 की शुरुआत के डेढ़ साल के दौरान, आगजनी की छोटी–बड़ी 13 घटनाएं हुईं जिनमें लगभग 150 लोगों की मौत हो गई।

13 जुलाई को आग लगने के विशिष्ट मामले में, जांच दल ने पाया कि कारखाने में केवल आधे मजदूरों के लिए ही ईएसआई कवरेज था। मरने वाले 3 मजदूरों में से केवल एक ईएसआई के कवरेज में था। यह अधिकांश प्रतिष्ठानों में हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने ईएसआई निरीक्षकों द्वारा कारखानों के निरीक्षण को पूरी तरह से रोक दिया है। फैक्ट्री, जहाँ आग लगी थी, फैक्ट्री अधिनियम के तहत भी पंजीकृत नहीं थी। निकास द्वार को बाहर से बंद कर दिया गया था और आपातकालीन द्वार को डंपिंग सामग्री के साथ अवरुद्ध कर दिया गया था।

इस घटना के बाद, 16 जुलाई को दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय के आवास के समाने सीटू, एटक, यूटीयूसी, एचएमएस, एआईयूटीयूसी, एटक, एलएफएफ के साथ आईएफटीयू और मैक की दिल्ली इकाइयों ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया।

इसके बाद, केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ सरकार की एक बैठक अगले दिन आयोजित की गई और चर्चा के बाद, 7 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए, जिसमें (1) फैक्ट्री अधिनियम के उल्लंघन पर जिला स्तरीय त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित करना है; (2) फैक्ट्री इंस्पेक्टर जिला स्तर की बैठकें आयोजित करना, जहाँ फैक्ट्री अधिनियम के उल्लंघन पर यूनियनें सीधे शिकायतें दर्ज करा सकती हैं; (3) समाचार पत्रों में कारखाना अधिनियम के तहत नियमों का प्रकाशन; (4) इन प्रयासों के बाद भी, यदि मालिक कारखाना अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करना जारी रखते हैं, तो अभियोजन प्रक्रिया शुरू की जाएगी; (5) फैक्टरी अधिनियम और एमसीडी अधिनियम में अग्नि सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन पर यूनियनें जिला मजिस्ट्रेट के साथ शिकायतें दर्ज कर सकती हैं; (6) 29 अनुसूची की वर्तमान सूची को सुरक्षा गार्ड, इंटरनेट कार्य, घरेलू कार्य आदि के समावेश के साथ विस्तारित किया जाएगा ताकि उन्हें न्यूनतम वेतन का लाभ दिया जा सके; और (7) 20 जुलाई, 2018 की बाकी माँगों पर, एक महीने के भीतर एक और बैठक श्रम आयुक्त के साथ आयोजित की जाएगी।

लेकिन, दिल्ली सरकार द्वारा उपरोक्त निर्णयों में से किसी को भी अभी तक लागू नहीं किया गया है और इस कोताही के कारण 8 दिसंबर को अनाज मंडी में 43 मजदूरों को जान से हाथ धोना पड़ा है। *(द्वारा: अनुराग सक्सेना)*

अंतर्राष्ट्रीय

यू.आइ.टी.बी.बी. की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक

आर. सिंगारावेलु

यू.आइ.टी.बी.बी. (वुफ्टू की निर्माण, वुड, निर्माण सामग्री व उद्योग की ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल) की 12वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक 9–11 अक्टूबर, 2019 तक वियतनाम के हनोई में हुई। इसमें भारत, जापान, इंडोनेशिया, बंग्लादेश वियतनाम व साइप्रस से 44 प्रतिनिधि शामिल थे। भारत के प्रतिनिधियों में सीटू की सी.डब्लयू.एफ.आई. के 4 प्रतिनिधियों में अध्यक्ष सुखबीर सिंह, उपाध्यक्ष आर. सिंगारावेलु,देबांजन चक्रवर्ती तथा कोटम राजू शामिल थे। एटक की ए.आइ.सी.बी.सी.डब्ल्यू. के 4 प्रतिनिधियों में अध्यक्ष विजय कुन्नीचेरी, कोषाध्यक्ष सेल्वाराज तथा दो अन्य शामिल थे। वियतनाम की नेशनल यूनियन ऑफ बिल्डिंग वर्क्रर्स के अध्यक्ष एन गुयेन थी थुए ली ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

यू.आइ.टी.बी.बी. के महासचिव माइकलेनिस पापानिकोलू ने अपने संबोधन में 30 अप्रैल, 1975 को आक्रमणकारी अमेरिकी साम्राज्यवाद को परास्त कर वियतनाम के पुनः एकीकरण के महत्व को; भू रणनीतिक व ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में जारी अमरीकी साम्राज्यवाद के हस्तेक्षप का विरोध करने की आवश्यकता, पेरिस समझौते और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई से उसके अलग हटने; तथा सामान्यतः दुनिया भर में और विशेषकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थिति को सुधारने के काम को रेखांकित किया।

उन्होंने बताया कि निर्माण उद्योग में महिलाओं को जेंडर के साथ ही वर्ग के रुप में दोहरी मार झेलनी पड़ रही है; वे समान काम के लिए समान वेतन से वंचित हैं और कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न का सामना करती हैं। जरूरत केवल महिला रोजगार को बढ़ाने की ही नहीं बल्कि उनके लिए सुरक्षित कार्य स्थलों को बनाने की भी है। निर्माण मजदूरों की यूनियनों को प्रवासी व विदेशी मजदूरों को बराबर न्याय देने के लिए अवश्य ही हस्तक्षेप करना चाहिये।

हालांकि, निर्माण उद्योग में कुल श्रम शक्ति का 5–10 प्रतिशत लगा है, लेकिन उसके हिस्से में कुल दुर्घटनाओं का 17 प्रतिशत आता है। जरूरत इस बात है कि कार्य संबंधी बीमारियों की प्रमुख वजह और स्वास्थय के लिए एक बड़े खतरे– एसवेस्टॉस के प्रयोग पर सभी निर्माण स्थलों पर पूरी तरह रोक लगे। बड़ी बहुराष्ट्रीय निर्माण कंपनियाँ टोकियो में 2020 के ओलम्पिक खेलों तथा कतर में 2072 के फुटबाल विश्वकप के लिए स्टेडियम के निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर मजदूरों का शोषण कर रही हैं और उनकी सुरक्षा व स्वास्थय आवश्यकताओं को नजरंदाज कर रही है जिससे लगातार दुर्घटनायें जारी है। यू.आइ.टी.बी.बी. ने इसे लेकर दुनिया भर में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबाल एसोसिएशन के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किये हैं। यू.आइ.टी.बी.बी. ने जॉन लोमेक्स की गलत गिरफ्तारी के विरोध में आस्ट्रेलियाई दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन किया। यू.आइ.टी.बी.बी., कार्रवाई दिवसों की पालना के माध्यम से वुफ्टू के कार्रवाई के मंच को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

तदुपरान्त बैठक तीन विशेष मुद्दों के बारे में तीन सत्रों में हुई।

सत्र 1: निर्माण क्षेत्र में महिला मजदूर

'निर्माण क्षेत्र में महिला मजदूर' के प्रथम सत्र की अध्यक्षता आर. सिगारावेलु ने की और अपने संबोधन में निर्माण क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की कामकाजी स्थितियों के बारे में बताया– रोजगार की गारण्टी नहीं, शिशु घरो की उचित सुविधा नहीं, समान वेतन नहीं तथा कार्यस्थलों पर यौन शोषण। उन्होंने कहा कि राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर युवा महिला कैडरों तथा कामकाजी महिला सब–कमेटियों को विकसित करने की आवश्यता है। कामकाजी महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए महिला व पुरुष दोनों ही मजदूरों को मिलकर संघर्ष करना होगा और मेहनतकश वर्ग को बांटने के फासीवादी कुचक्र को परास्त करना होगा। इसके बाद प्रतिनिधियों ने अपने–अपने देशों की रिपोर्ट पेश की।

जापानः श्रम शक्ति की कमी है। महिला मजदूर,जेंडर आधार पर श्रम के मजबूत परंपरागत विभाजन के तहत कार्य करती हैं। बड़ी संख्या में महिलायें शादी या प्रसव के समय रोजगार छोड़ देती हैं। 1985 में इक्वल एम्पलॉयमेंट ऑपुचनटी एक्ट तथा 2015 में प्रोमोशन ऑफ वूमेंस पार्टिसिपेशन एंड एडवांसमेंट इन द् वर्कप्लेस एक्ट बनाया गया। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार 2015 में कुल 36.5 लाख निर्माण मजदूरों में 6.92 लाख महिलायें थीं। 2014 में सरकार ने एक कार्ययोजना के तहत कुशल महिला निर्माण मजदूरों की संख्या को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था।

वियतनामः महिला निर्माण मजदूरों की संख्या 53000 है। उन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिलता है। महिला मजदूर अपने परिवारों की देखभाल करने, देश के विकास तथा श्रम मामलों व उत्पादन में अहम भूमिका अदा करती हैं। निर्माण क्षेत्र की महिलाओं के लिए जेंडर समानता तथा प्रगति के अमल को सुनिश्चित करने के लिए वी एन यू बी डब्ल्यू ने अपने एक उपाध्यक्ष को निर्माण मंत्रालय की कमेटी फॉर द् एडवांसमेंट ऑफ वूमेन में देखभाल तथा दिशा–निर्देश आदि देने के लिए नियुक्त किया है। निर्माण मंत्रालय के तहत विभाग में कुल 192 नेताओं व मैनेजरों में से 70 प्रतिशत महिलायें हैं। 70 प्रतिशत महिलाओं को समय–समय पर हैल्थ चेक–अप सुविधा मिलती है। वियतनाम के मौजूदा कानून के तहत महिलायें सामाजिक बीमा लाभों के साथ 6 महीने के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। महिला मजदूर,12 महीने से कम के शिशुओं की माँओं को रात्रि पाली या ओवरटाइम काम करने की आवश्यकता नहीं हैं। उन्हें प्रतिदिन अपने कार्यसमय के बीच 60 मिनट का अवकाश सभी लाभों के साथ मिलता है। 176 महिला मजदूरों की प्रशंसा वियतनाम की उल्लेखनीय व रचानात्मक मजदूरों के तौर पर की गई है।

इंडोनेशिया व बांग्लादेशः इंडोनेशिया में महिलाओं को समान काम के बदले केवल आधा ही वेतन मिलता है। बांग्लादेश में, महिलाओं व लड़कियों की तस्करी बढ़ रही है। बांग्लादेश कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्कर्स फेडरेशन इसे कम करने के लिए काम कर रही है।

सत्र 2: सामाजिक बीमा, पेशागत सुरक्षा व स्वास्थय

इंडोनेशियाः 24–30 सितम्बर, 2019 के दौरान इंडोनेशिया की निरंकुश सरकार के विरुद्ध हुए बड़े प्रदर्शनों में निर्माण मजदूरों की यूनियनों ने हिस्सा लिया। कुछ को गोली से मार दिया गया। प्रतिदिन 12 घंटे से ज्यादा के काम के चलते, निर्माण क्षेत्र में बहुत दुर्घटनायें होती हैं।

जापानः जापानी भू–भाग में सुरंगों व खदानों की खुदाई के दौरान होने वाली ड्रिलिंग के चलते उद्योग में न्यूमोकोनिओसिस एक आम पेशागत बीमारी है और उच्च स्फतार ट्रेनों व एक्सप्रेस वे को बढ़ाने के लिए और नई सुरंगों का निर्माण अपेक्षित है। यूनियन को न्यमोकोनिओसिस के मरीजों को ठीक –ठाक मुआवजा दिलाने के लिए 30 वर्ष से अधिक संघर्ष करना पड़ा।

वियतनामः मजदूरों के लिए पेशागत सुरक्षा व स्वास्थय शिक्षा को यूनियनों द्वारा हर स्तर पर बढ़ावा दिया जाता है; विशेषकर सुरक्षा नियमों व नियामकों तथा मजदूरों के अधिकारों व जिम्मेदारियों पर। 2018 तक 70,000 एंटरप्राइजेज तथा 40 लाख से ज्यादा मजदूरों के साथ निर्माण क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनायें, राष्ट्रीय स्तर पर कुल श्रम दुर्घटनाओं का लगभग 28 प्रतिशत हैं। कार्यस्थलों की यूनियनें तथा एम्पलाईज प्रत्येक कार्य इकाई में संयुक्त रुप से ओएसएच कार्यकर्ताओं के नेटवक्र की गतिविधियों का प्रबंध करती है जिनका काम ओ एस एच व सुरक्षा नियमों व नियामकों की पालना के लिए मजदूरों को प्रोत्साहित करना है।

सत्र 3: प्रवासी मजदूर, मौसमी मजदूर व प्रोद्योगिकी बदलाव

भारतः देबांजन चक्रवर्ती ने प्रवासी मजदूरों पर एक पर्चा प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया था कि विश्व आर्थिक संकट, बेरोजगारी, कम वेतन, सामाजिक सुरक्षा की कमी ये सभी एक देश से दूसरे देश में प्रवास का कारण बनते है। कुछ देशों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए आवश्यक धन का आवंटन न किये जाने से निर्माण कार्य सकुंचित हो जाते हैं। भारत में, 2019 में बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों में उच्चतम स्तर पर है। विकसित पूंजीवादी देशों में आज सस्ते श्रम की माँग सबसे बड़ी है। कुछ देशों ने प्रवासी श्रमिकों के बारे में पूंजीवादी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते की पहल की है। भारत में, सरकार ने भारतीय प्रवासी मज़दूरों की रक्षा के लिए यूरोप व अरब के 10 देशो के साथ द्विपक्षीय समझौता किया है। लेकिन मज़दूरों को समझौते के अनुसार सुरक्षा प्राप्त नहीं है। खाड़ी

सहयोग परिषद् के देश, दुनिया में, पैसा भेजने वाले देशों में ऊपर हैं। इसका कुल आधिकारिक मूल्य 9 करोड़ डालर है। पिछले लगभग 15 वर्षों में लाखों मज़दूरों को शरणार्थियों के रूप में अपने देशों को छोड़ अन्य देशों में प्रवास के लिए मजबूर होना पड़ा है। इन शरणार्थियों को रास्ते में यंत्रणायें सहनी पड़नी है, जान से हाथ धोना पड़ा है। लाखों महिलायें, युवां लड़कियों व बच्चों की गरीब देशों से धनी देशों को तस्करी हो रही है। खाड़ी क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के पासपोर्ट जब्त किये जा रहे हैं। मज़दूरों को खराब हालातों में ज्यादा घंटो तक काम करना पड़ता है। केवल 54 देशों ने प्रवासी मज़दूरों के हकों की सुरक्षा के बारे में कन्वेंशन को पारित किया है। आइ एल ओ ने 1949 व 1975 में इन्हें तैयार किया था। ब्रुसेल्स में मई 2013 में हुई वुफ्टू की कांफ्रेंस में प्रवासी मज़दूरों के बारे में एक मज़दूरों का चार्टर पारित किया गया था।

जापानः जापान में जन्म दर घटी है। बहुत से विदेशी मज़दूर जापान में प्रवास करते हैं और कम वेतन पर काम करते हैं। ओलम्पिक स्टेडियमों के निर्माण कार्यों में, काम के दबाव के कारण कुछ मज़दूरों ने आत्महत्या की है।

वियतनामः निर्माण उद्योग में प्रवासी मजदूरों का समानुपात सबसे अधिक है। ट्रेड यूनियनें सूचना देती हैं और सदस्यता के लिए लामबंद करती हैं; श्रम करारों के पूरा होने पर दिशा–निर्देश देती हैं; वैद्यानिक व जायज हकों की रक्षा करती हैं। 40 देशों में वियतनाम के 8,21,662 मज़दूर काम कर रहे हैं। विशेषकर निर्माण क्षेत्र में 2016 से 1,27,628 मज़दूर अन्य देशों में काम के लिए गये हैं इनमें अधिकतर जापान, ताइवान व मलेशिया में गये है। निर्माण मंत्रालय की इकाई, सोंग दा कारपोरेशन की विभिन्न कंपनियों द्वारा लाओस में बनायी जा रही जन बिजली परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर सालाना औसतन 250 करोड़ डॉलर भेजते है।

प्रस्ताव

बैठक समापन से पूर्व एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसमें कहा गया कि मज़दूर, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी द्वारा अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए उसके भारी हमले की चपेट में है; प्रस्ताव में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में यू आइ टी बी बी सदस्यों के संघर्ष के प्रति एकजुटता व्यक्त की गई; तथा धर्म व नस्ल के आधार पर मजदूरों को बांटने की साम्राज्यवाद की शैतानी कोशिशों के प्रति सचेत रहने का आहवान किया गया।

प्रस्ताव में यूनियनों से आह्वान किया गया कि अधिकारों को पाने, मजदूरों व उनके परिवारों के बेहतर जीवन व कार्य दशाओं के लिए; जेंडर आधारित भेदभाव के खिलाफ; महिलाओं व प्रवासी मज़दूरों के लिए समान काम के लिए समान वेतन के लिए; निर्माण स्थलों पर एस्बैक्टॉस के प्रयोग पर पूर्ण पाबन्दी के लिए संघर्ष करें। सभी मज़दूरों को सभी राजनीतिक व ट्रेड यूनियन अधिकार हासिल हों।

भागीदारों ने एथेंस में हाने वाली यू.आइ.टी.बी.बी. की 17वीं कांग्रेस को सफल बनाने का भी संकल्प लिया।

फ्रांस

पेंशन सुधार के खिलाफ मजदूरों की हड़ताल

''मैक्रॉन के राष्ट्रपतित्व काल में फ्रांस सबसे बड़ी हड़तालों की चपेट में आकर ठहर गया है। पेंशन में बदलावों की वजह से, रेल और हवाई परिवहन के साथ–साथ स्कूलों और पुलिस व्यवस्था पर चोट लगी है'': द गार्जियन में मुख्य–समाचार 5 दिसंबर, 2019।

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन को अपने राष्ट्रपतित्व काल की सबसे बड़ी हड़ताल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पेंशन प्रणाली में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ 5 दिसंबर से फ्रांसीसी रेल कर्मचारियों, हवाई यातायात नियंत्रकों, शिक्षकों, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों सहित पुलिसकर्मियों ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी और सड़कों पर उतर आए। हड़ताल बेरोकटोक जारी है।

रेल सेवाऐं, 82% चालकों की हड़ताल से पूरी तरह ठप्प रहीं और करीब 90% क्षेत्रीय ट्रेनें रद्द कर दी गईं। पेरिस में, 16 में से 11 मेट्रो लाइनें बंद रही। पेरिस और लंदन के बीच निर्धारित यूरोस्टार ट्रेनों में से लगभग आधी रद्द कर दी गई हैं। कई स्कूल बंद कर दिए गए और पुलिस यूनियनों ने कुछ एक पुलिस स्टेशनों को 'प्रतीकात्मक' तौर पर बंद कर किया। पेरिस में हुए एक मार्च के रास्ते में आने वाली सभी दुकानें बंद हो गईं। हड़ताल के कारण पर्यटक एफिल टॉवर से दूर हो गए।

दसियों हजारों फ्रांसीसी मजदूर विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। सीजीटी यूनियनों का अनुमान है कि देशव्यापी विरोध मार्च में 15 लाख मजदूरों ने भाग लिया; हालांकि आंतरिक मंत्रालय का अनुमान है कि 8 लाख मजदूरों ने भागीदारी की है, जिसमें 65,000 पेरिस के साथ–साथ दक्षिण में ल्योन और पश्चिम में नांतेस शामिल हैं।

मजदूरों द्वारा जारी हड़ताल और सड़कों पर प्रदर्शन, मैक्रोन सरकार द्वारा पेंशन प्रणाली में संशोधन करते हुए, सभी 42 श्रेणी–वार पेंशन योजनाओं को हटाने के प्रस्ताव के कदम के खिलाफ हैं; पेंशन प्रणाली को सार्वभौमिक बनाने; और अंतिम वेतन की वर्तमान प्रणाली की जगह सेवा की पूरी अवधि के दौरान वार्षिक वेतन की गणना करके पेंशन के कुल मूल्य को कम करने के खिलाफ है। समान पेंशन अर्जित करने के लिए एक मजदूर को अधिक वर्षों तक काम करना पड़ता है।

यूनियनों का कहना है कि 'सार्वभौमिक' पेंशन प्रणाली का मतलब है कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लाखों मजदूरों को अपनी पेंशन के मूल्य में भारी गिरावट का सामना करना पड़ेगा। यह कदम सार्वभौमिक अंक–आधारित पेंशन प्रणाली को शुरू करने के लिए है, जो सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर वर्तमान 62 से 64 वर्ष कर दिया गया है।

2017 में अपने चुनाव के बाद से, बिजनेस समर्थक मैक्रॉन एक 'लचीले श्रम बाजार' के लिए 'वर्क कोड' बदलकर कई मजदूर–विरोधी श्रम सुधारों की ओर चल रहा है।

सरकार विरोधी पीली जेकेट आंदोलन के महीनों के विरोध के बाद, नवंबर में हुए एक जनमत सर्वेक्षण में पाया गया कि 89% फ्रांसीसी लोगों ने महसूस किया कि देश 'सामाजिक संकट' का सामना कर रहा है। एक जनमत सर्वेक्षण में नई हड़ताल कार्रवाई को 69% जनता का समर्थन मिला।

मैक्रॉन प्रशासन 1995 में पेंशन सुधारों पर देश में दोबारा आम हड़ताल का सामना कर रहा है, जिसने 3 सप्ताह के लिए परिवहन प्रणाली को अपंग कर दिया और बड़े पैमाने पर लोकप्रिय समर्थन प्राप्त किया, जिससे सरकार को उलटफेर करना पड़ा। *(2019/12/14)*

संयुक्त राज्य अमेरिका में

शीर्ष के 1% ने 21 ट्रिलियन डालर अर्जित किये; निचले तबके के आधे को 900 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ

फेडरल रिजर्व के हाल ही में जारी 'डिस्ट्रिब्यूटिव फाइनेंशियल अकाउंट्स' डेटा श्रेणी से पता चलता है कि शीर्ष 1% के पास लगभग 30 ट्रिलियन डालर की संपत्ति है, जबकि निचले तबके के आधे के पास कुछ भी नहीं है, जिसका अर्थ है कि उनके पास संपत्ति की तुलना में ऋण अधिक हैं।

1989 और 2018 के बीच, शीर्ष एक प्रतिशत ने अपनी कुल संपत्ति में 21 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि की, जबकि वास्तव में उसी अवधि में नीचे के 50% की कुल सम्पत्ति में 900 बिलियन डालर की कमी देखी गयी।

''हम इस देश में 1920 के बाद से सबसे खराब असमानता देख रहे हैं।'' कांग्रेस प्रोग्रेसिव कॉकस के सह–अध्यक्ष जयपाल ने लिखा। ''अमेरिका . . . . . % लोगों जितनी संपत्ति है।'' *(स्रोतः मैट ब्रुनेग का पीपुल्स पॉलिसी प्रोजेक्ट; 14.06.2019)*

मजदूर–किसान एकता

किसानों के राष्ट्रीय कन्वेंशन की घोषणा

8 जनवरी, 2020 को होगा ग्रामीण भारत बंद

पहली बार मजदूरों व किसानों ने अपनी–अपनी मांगो को लेकर 8 जनवरी, 2020 को एक साथ कार्रवाई का फैसला किया है। 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों ने 30 सितम्बर, 2019 को नई दिल्ली में हुए अपने राष्ट्रीय जन कन्वेंशन में मजदूरों की आम हड़ताल का आहवान किया था। 100 से अधिक किसान संगठनों ने 30 नवम्बर 2019 को नई दिल्ली में हुए अपने राष्ट्रीय कन्वेंशन में किसानों व खेत मजदूरों की माँगों पर ग्रामीण भारत बंद का अहवान किया है।

ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोडिनेशन कमेटी (एआइकेएससीसी) के 30 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली के मॉवलंकर हॉल में हुए तीसरे राष्ट्रीय कन्वेंशन में 25 राज्यो के 800 प्रतिनिधि शामिल हुए। कन्वेंशन को राष्ट्रीय वर्किंग ग्रुप के संयोजक वी एम सिंह, राजू शेट्टी, हन्नान मोल्ला, मेघा पाटकर, अतुल अंजान, डॉ० आशीष मित्तल, योगेन्द्र यादव, डॉ० सुनीलम, राजाराम सिंह, डॉ० दर्शन पाल, सत्यवान, प्रतिभा शिंदे, अविक साहा व किरन विस्सा समेत सभी सदस्यों ने संबोधित किया।

वर्किंग ग्रुप के सदस्यों के अतिरिक्त, देशभर के 100 से अधिक संगाठनों के नेताओं ने भी कन्वेंशन को संबोधित करते हुए अपने राज्यो के मुद्दों के बारे में और कोर्डिनेशन कमेटी के एक्शन प्रोग्राम के बारे में बात की।

संघर्ष समिति के 21 मुद्दों वाले किसान चार्टर को कन्वेंशन में पेश कर चर्चा की गई। किसानों को प्रभावित कर रहे मुद्दों पर चर्चा के साथ कन्वेंशन में वनाधिकार कानून के संबंध में जल्द समाधान की माँग के साथ ही भारी मात्रा में कृषि उत्पादो की डंपिग तथा कृषि क्षेत्र पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभुत्व व नियन्त्रण खेत मजदूरों व बटाईदारों के हकों लिए व्यापक कानून कारपोरेटो द्वारा किसानो की लूट, सभी ग्रामीण श्रमशाक्ति को 10,000 रूपये पेंशन, फसल बीमा में सुधार व बदलाव तथा आपदा मुआवजा व जम्मू व कश्मीर के किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा संबंधी मुद्दों–माँगों को उठाया गया।

कन्वेंशन के समापन सत्र में संघर्ष कोर्डिनेशन कमेटी के भविष्य के कार्यक्रम पर चर्चा व उसकी घोषणा की गई। उसके बाद संयोजक वी एम सिंह के साथ कमेटी के वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने संवाददाता सम्मेलन में भविष्य के कार्यक्रम का ऐलान किया।

ए आइ के एस सी सी ने घोषणा की कि देश के किसान केंद्र की किसान विरोधी नीतियों व केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा किसानों की माँगों को लेकर कुछ नहीं करने के विरोध में 8 जनवरी को ग्रामीण भारत बंद करेंगे। यह विरोध विभिन्न मोर्चों पर सरकार की विफलता को उजागर करेगा– सभी फसलों के लिए सी2 + 5 प्रतिशत की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने में असफलता, कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने में असफलता, सूखे, बाढ़ व गैरमौसमी बरसात के कारण नुकसान के लिए फसल बीमा व आपदा मुआवजे को प्रभावी ढंग से अमल न करने की असफलता, वनाधिकार कानून आदि को लागू करने में तथा राज्यों में अन्य ज्वलंत मुद्दों के संदर्भ में। कन्वेंशन ने 8 जनवरी के विरोध के क्रम में देशभर में ए आइ के एस सी सी की राज्य इकाईयों को मजबूत करने के बारे में एक योजना को भी पारित किया। कमेटी की राज्य इकाईयां योजना तैयार कर विभिन्न जिलों में इसे लेकर जायेंगी।

मोदी सरकार नीचे झुकी

एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रम–विकास में मोदी सरकार के नीचे झुकने का संकेत है; केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने अंततः तीन बिंदुओं के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए 2 जनवरी, 2020 को सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की एक संयुक्त बैठक में इंटक (उसके दो अन्य गुटों सहित) को आमंत्रित किया – ''(1) ईएसआईसी सेवाओं में सुधार; (2) मजदूरों के कल्याण के लिए शुरू की गई पहल; और (3) ट्रेड यूनियन की माँगों से संबंधित मुद्दे।''

यह याद किया जाए कि बीएमएस को छोड़कर सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठकों का बहिष्कार करते आ रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने इंटक को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की सूची से बाहर करने का फैसला किया था।

विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट

वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की गिरावट

पीटीआई ने बताया है कि जेनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू.ई.एफ.) द्वारा बुधवार, 9 अक्टूबर 2019 को जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2019 के अनुसार भारत वैष्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारी गिरावट के साथ 10 पायदान नीचे खिसक गया है, और 141 देशों में वह 68वें स्थान पर रहा है।

यह ब्राजील के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ब्रिक्स देशों में से एक है। चीन 28वें (ब्रिक्स में सर्वोच्च स्थान पर) स्थान पर है जबकि इस क्षेत्र में वियतनाम इस वर्ष का सबसे बेहतर देश है। 2019 में सिंगापुर दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिससे अमेरिका दूसरे स्थान पर पहुँच गया है।

डब्ल्यू.ई.एफ. ने कहा कि भारत अपचार दर (एनपीए) में उँचे स्तर पर है, जो उसकी बैंकिंग प्रणाली को कमजोर करने में योगदान कर रहा है। प्रतिस्पर्धा की बुनियादी बिन्दुओं में से कुछ कमियों हैं, खराब स्वास्थ्य की स्थिति और स्वस्थ जीवन की कम अपेक्षा है। जीवन की अपेक्षा में, भारत 109वें स्थान पर है और अफ्रीका के बाहर सबसे कम और दक्षिण एशियाई के औसत से काफी नीचे है।

इसका श्रम बाजार, मजदूर अधिकारों की सुरक्षा की कमी, अपर्याप्त रूप से विकसित सक्रिय श्रम बाजार नीतियों और महिलाओं की भागीदारी की कमी के तौर पर गंभीर रूप से चिन्हित है। के पुरुष मजदूरों और महिला मजदूरों का अनुपात 1:0.26 है, भारत काफी नीचे 128वें स्थान पर रहा है।

डब्ल्यू.ई.एफ. की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक वित्तीय संकट से 10 साल पहले, केंद्रीय बैंकों द्वारा 10 ट्रिलियन अमरीकी डालर से अधिक के इंजेक्षन के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था कम या सपाट उत्पादकता वृद्धि के चक्र में फंसी हुई है।

नियमित रोजगार की जगह गैर–नियमित कर्मचारी

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अधिकृत रिपोर्ट, ''21वीं सदी के भारत के उभरते रोजगार पैटर्न'' के अध्ययन से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर नियमित (स्थायी) रोजगार को गैर–नियमित रोजगार द्वारा हटाया जा रहा है।

जबकि 2004–05 में गैर–ठेका (गैर–नियमित) 2.44 करोड़ था और ठेका (नियमित) रोजगार 2.65 करोड़ था; 2017–18 में गैर–ठेका रोजगार 3.61 करोड़ और ठेका 2.80 करोड़ था।

यह अध्ययन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण 2004–05 और 2017–18 की अवधि में श्रम बल सर्वेक्षण से रोजगार के आंकड़ों पर आधारित था।

(स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस; 26.10.2019)

टीएसआरटीसी मजदूरों की शानदार हड़ताल खत्म

5 अक्टूबर को शुरु हुई तेलंगाना रोड ट्रासपोर्ट वर्कर्स की हड़ताल 25 नवम्बर की शाम को समाप्त हो गई। आंदोलन का नेतृत्व करने वाली सयुक्त संघर्ष समिति (जे ए सी) ने इसकी घोषणा करते हुए मजदूरों से 26 नवम्बर को पहली डयूटी से काम पर लौटे जाने की अपील की। जे ए सी ने प्रंबधन व सरकार को सूचित किया कि डयूटी पर आने वाले मजदूरों पर कोई शर्त नही थोपी जायेगी। जे ए सी व ए आइ आर टी डब्ल्यू एक ने अपने बयानों में कहा कि हड़ताल की वापसी जनता के पास जाने के लिए है ताकि उद्योग को बचाने तथा मजदूरों के हकों के लिए और संघर्षो के लिए और अधिक समर्थन व ताकत जुटाई जा सके।

इसके उपरान्त तेलंगाना के मुव्यमंत्री ने जिन्होने पहले सभी 48000 से ज्यादा हड़ताली मजदूरों की बरवास्तगी की घोषणा कर दी थी, 28 नवम्बर को सभी 48,563 मजदूरों से बिना शर्त काम पर लौटने को कहा : और घोषणा की कि उनके रिवलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई नही की जायेंगी आपात कदम के रुप में टी एस आर टी सी को 100 करोड़ रुपये दिये जायेगे : हड़ताल के दौरान गुजर गयें मजदूरों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी जायेंगी : फिलहाल टी एस आर टी सी के निजीकरण के मुद्दे को एक ओर ररवा जायेगा आदि।

महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार के रिवलाफ विरोध

सीटू का 16 दिसम्बर को निर्भया दिवस मनाने का आहवान

16 दिसम्बर 2019 को सीटू ने देश भर में अपनी रज्य समितियों से जिलों/मडलों में संबंधित कामकाजी महिला समन्वय समितियों के व अन्य महिला संगठनों को साथ ले कर 16 दिसम्बर (निर्भया दिवस) पर प्रशासन को ज्ञापन देने का आहवान किया।

सीटू ने देश भर में महिलाओं व बच्चों के साथ बढ़ती हिंसा व अपराधों पर चिंता व्यक्त की और हैदराबाद में बलात्कार पीड़िता दिशा के जिंदा जलाये जाने तथा उन्नाव की पीड़िता के मामले समेत ऐसे अपराधों को नोट किया है। पीड़ितो में 3 महिनों की बच्चियों से लेकर 90 वर्ष तक की महिलायें हैं जिनसे उनके घरों, कार्य स्थलों तथा पुलिस थानों में बलात्कार हुआ हैं ऐसा मेट्रो शहरों से लेकर दूरदराज तक के गांवो मे हुआ हैं। यह सब जारी आर्थिक राजनैतिक व सामाजिक संकट में समाज में पैदा सड़न का द्योतक है।

मोदीनीत भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से जो आरएसएस के निर्देश पर चल रही है और उग्र रुप से नव उदारवादी विचार का आगे बढ़ा रही हैं मनुवादी विचारों से प्रतिबद्ध है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा चिंताजनक स्थिति में पहुँच गई है। दोषियों के समर्थन में कुछ विधायकों व सासंदो के बयान व उनके द्धारा दोषियों का बचाव विशेषकर जो सत्ता में हैं उनके द्वारा, इसने अपराधों के दोषियों के हौसलों को बढ़ाया है। निर्भया फंड का कम आवंटन व इसका उपयोग न किया जाना सरकारों की उपेक्षा को दिरवाता है। बहुत से स्थानों पर जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशें सिर्फ कागज़ पर हैं। यही नहीं महिलाओं के प्रति नज़रिए में बदलाव के लिए इस मुद्दे को समाज के विभिन्न क्षेत्रों तक ले जाने की जरुरत है, सीटू ने बयान में कहा।

सीटू महिलाओं के विरुद्ध इन पाशविक अत्याचारों की कड़ी निंदा करता है और सरकार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी जरुरी कदम उठाने तथा समाज में प्रचलित महिलाओं के प्रति भेदभाव व पितृ सत्तात्मक रवैये को समाप्त करने के लिए कड़ी कार्यवाई शुरु करने की माँग करता है।

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dn	flrEcj 2019	vDVcj 2019
vk/k izns'k	xq.Vj	292	297
	fot;ckMk	296	303
	fo'kk[kkiÿkue	300	303
vle	MeMek frulf[k;k	292	294
	xokgkVh	287	288
	ycd flYpj	280	285
	efj;kuh tkjgkV	271	273
	jxkikjk rt iqj	262	269
fcgkj	ep?kj&tekyiqj	356	367
p.Mhx<	p.Mhx<	320	321
NÿkhlX<	fHkykbZ	335	340
fnYyh	fnYyh	311	309
Xkkvk	xkvk	330	326
Xkqtjkr	vgenkckn	298	303
	Hkkouxj	306	308
	jktdkV	301	304
	lqjr	287	292
	oMknjk	285	289
gfj;k.kk	Qjhnkckn	284	288
	;eukuxj	303	310
fgekpy	fgekpy çns'k	277	280
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	285	287
>kj[k.M	ckdkjk	315	319
	fxfjMhg	350	358
	te'kniqj	365	377
	>fj;k	371	374
	dkMek	389	396
	jkph gfV;k	402	405
dukVd	cqyxke	309	310
	cqxyq#	300	301
	gcyh /kkjokM	346	346
	ejdjk	312	318
	esyqj	317	317
dqjy	,.kkdqye@vyob	322	325
	eq.MkD;ke	321	326
	fDoyku	366	368
e/; çns'k	Hkkikky	337	340
	fNnokM	318	329
	bUnkSj	293	297
	tcyiqj	327	336

jkT;	dn	flrEcj 2019	vDVcj 2019
महाराष्ट्र	मुम्बई	321	322
	ukxiqj	403	405
	ukfld	369	375
	iq.k	353	355
	'kksykiqj	341	347
mMhlk	vkxjq&rkypqj	338	340
	jkmjdqyk	320	323
ikfMpfj	ikfMpfj	321	323
iatkc	vejrlj	350	355
	tkyU/kj	332	333
	ywf/k;kuk	300	388
jktLFkku	vtesj	299	297
	HkhyokM	304	306
	t;iqj	324	327
rfeyukMq	pUuS	283	283
	dk;EcVwj	290	293
	dUuwj	338	340
	enqjkbZ	304	309
	lqyse	299	300
	fr#fpjkiYyh	307	305
rsyaxkuk	xknkojh[kkuh	344	345
	gnjkckn	270	273
	okjaxy	325	325
f=iqjk	f=iqjk	271	275
mÿkj çns'k	vkxjk	374	375
	xkft;kckn	344	349
	dkuiqj	355	360
	y[kuÅ	353	358
	okjk.klh	343	355
if'pe cxky	vklulky	350	351
	nkftZfyax	283	288
	nqxkiqj	332	332
	gfYn;k	362	365
	gkoM	298	301
	tkyikbZxqM	292	295
	dkydkrk	292	298
	jkuhxat	304	307
	flyhxqM	295	299
vf[ky Hkkjrh; lpdkd		**322**	**325**

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  ~~आइएफसीकोड~~ : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्कः** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेलः citubtr@gmail.com
  फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

तेल मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल

28 नवम्बर 2019

(रिपोर्ट पृ. 8)

कोच्चि रिफाइनरी पर

नुमालीगढ़ रिफाइनरी पर एकजुटता

मुम्बई रिफाइनरी पर

तमिलनाडु बौटलिंग पर

तेल मजदूरों के साथ कोयला मजदूरों की एकजुटता

एनटीपीसी में विनिवेश के खिलाफ विरोध

मोमबत्ती रैली (रिपोर्ट पृ. 10)

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-20 20 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication -05/01/2020)

सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध

(रिपोर्ट पृ. 6)

वाराणसी में भारी गिरफ्तारियां

लंदन में इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन द्वारा विरोध

फ्रांस में पेशन कटौतियों के खिलाफ मजदूरों की हड़ताल

(रिपोर्ट पृ. 21)

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com) सम्पादक : के हेमलता